VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

अपडेटेड वैल्यू एडिशन मटेरियल 2024

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत - पाकिस्तान और अफगानिस्तान

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

भारत के पड़ोसी देश : पाकिस्तान और अफगानिस्तान
(India Neighbourhood Relations: Pakistan and Afghanistan)

विषय सूची

1. भारत और पाकिस्तान ____ 2

1.1. ऐतिहासिक अवलोकन ____ 2

1.2. भारत-पाकिस्तान संबंध एक रूपरेखा: वार्ता-अवरोध-वार्ता ____ 9

1.3. मुख्य मुद्दे ____ 10

1.4. सिंधु जल समझौता ____ 11

1.4.1. महत्व ____ 11

1.4.2. महत्वपूर्ण प्रावधान ____ 11

1.4.3. सिंधु, झेलम तथा चेनाब: पश्चिमी नदियां तथा भारत ____ 11

1.4.4. हालिया गतिविधियां ____ 13

1.4.5. भारत की हालिया चिंताएं क्या हैं? ____ 13

1.4.6. संधि पर उठते सवाल ____ 14

1.4.7. क्या संधि रद्द कर दी जानी चाहिए? ____ 15

1.4.8. भारत के समक्ष विकल्प ____ 15

1.5. सर क्रीक विवाद ____ 15

1.5.1. भारतीय दावे बनाम पाकिस्तानी दावे ____ 16

1.5.2. सर क्रीक विवाद का महत्व ____ 16

1.6. सियाचिन ____ 18

1.6.1. भारत बनाम पाकिस्तान: दावे ____ 18

1.6.2. आगे की राह पर भारत की अवस्थिति ____ 18

1.7. चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर ____ 19

1.8. कुलभूषण जाधव विवाद ____ 20

1.9. व्यापार ____ 20

1.10. दर्शन एवं वास्तविकता ____ 21

2. भारत और अफ़गानिस्तान ____ 21

2.1. मुख्य विशेषताएं ____ 22

2.2. 2001 से 2021 तक अफ़गानिस्तान में भारत के दृष्टिकोण और भूमिका की समझ : रणनीतिक साझेदारी समझौता ____ 23

2.3. 'हार्ट ऑफ़ एशिया' प्रक्रिया ____ 24

2.4. पुनर्निर्माण के प्रयासों में भारत का योगदान ____ 25

2.4.1. कनेक्टिविटी की चुनौतियां ____ 25

2.5 अफगानिस्तान में परिवर्तन: अमेरिका-तालिबान समझौता, अमेरिकी सेना की वापसी और तालिबान का सत्ता पर कब्जा 26

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

1. भारत और पाकिस्तान (India and Pakistan)

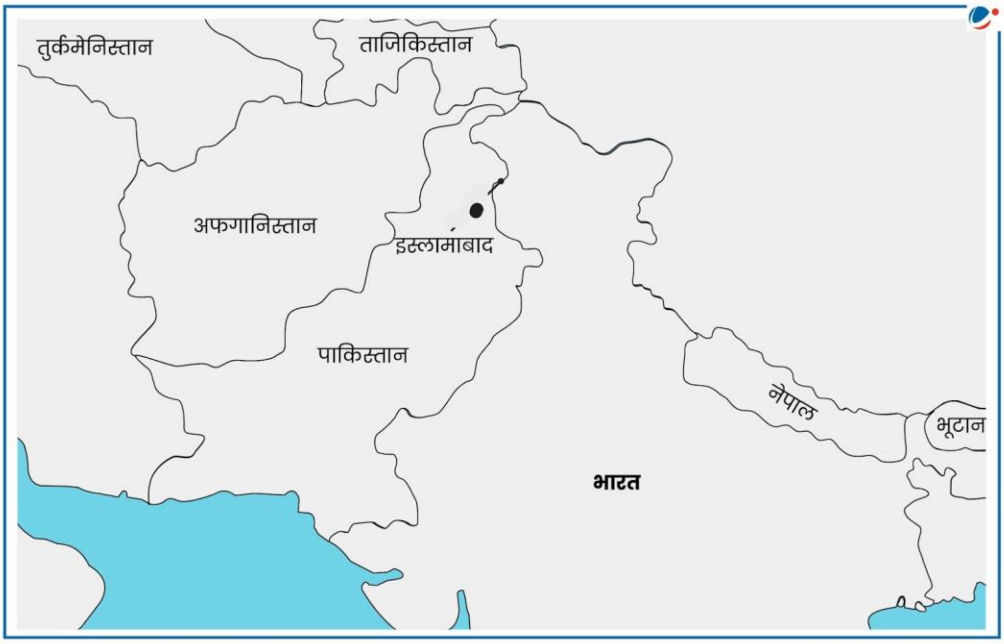

मानचित्र 3.1 भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान (स्रोत गूगल मैप्स)

1.1. ऐतिहासिक अवलोकन (A Historical Overview)

- **ब्रिटिश शासन की समाप्ति के पश्चात भारत के विभाजन के फलस्वरूप 14 अगस्त, 1947 को पाकिस्तान का एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उदय हुआ।**
    - **पाकिस्तान प्रस्ताव: 22-24 मार्च, 1940 को लाहौर में आयोजित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया।**
    - **विभाजन और हिंसा: विभाजन के कारण वृहत पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई तथा भारत एवं पाकिस्तान के बीच बड़े पैमाने पर आबादी का पलायन हुआ, जिससे अत्यधिक कटुता पूर्ण संबंध हुए।**
    - **रेडक्लिफ रेखा: दोनों देशों के बीच सीमा के रूप में रेडक्लिफ रेखा के निर्धारण ने संपत्तियों के विभाजन और सीमा विवाद सहित विवादास्पद मुद्दों को अनसुलझा छोड़ा दिया।**
- **पाकिस्तान की आक्रामकता** के कारण उसके द्वारा समर्थित कबीलियाई आतंकियों ने जम्मू और कश्मीर पर आक्रमण किया, जिसके कारण **भारत के साथ पहला युद्ध हुआ।**
    - **अंततः भारत द्वारा पाकिस्तान की आक्रामकता के मुद्दे को 1948 में संयुक्त राष्ट्र में उठाया गया और 1949 में संयुक्त राष्ट्र ने अनिवार्य युद्ध विराम अधिदेश दिया, जिसके कारण युद्ध विराम रेखा (Ceasefire line) की स्थापना भी हुई।**
- **संबंधों को सामान्य बनाने के लिए** प्रारंभिक **प्रयास भारत द्वारा किए गए,** जिसमें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए **लियाकत-नेहरू पैक्ट (1950)** पर हस्ताक्षर करना शामिल है।
    - दोनों सरकारें अपने क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों के लिए पूर्ण सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने पर सहमत हुईं।
    - यह निर्णय लिया गया कि अल्पसंख्यकों को स्वतंत्र रूप से प्रवास करने, अपने देश लौटने, अपनी संपत्ति वापस लेने और बिना किसी भय के रहने का अधिकार होगा।

- शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए उपायों की रूपरेखा तैयार की गई, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे चाहें तो अपने देश लौट सकते हैं या यदि वे अपने नए देशों में रहना चुनते हैं तो उन्हें उचित तरीके से बसाया जा सकता है।
- दोनों देशों ने अल्पसंख्यकों के धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक अधिकारों का संरक्षण करने, नौकरियों, शिक्षा के अवसरों और अन्य नागरिक अधिकारों तक पहुंच में गैर-पक्षपात सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की।
- अल्पसंख्यकों की शिकायतों को सुनने और उनका समाधान करने तथा समझौते के प्रावधानों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों में अल्पसंख्यक आयोग गठित करने पर सहमति हुई।

- **प्रारंभिक वर्षों में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में भारत ने गुटनिरपेक्ष बने रहने का विकल्प चुना, जबकि पाकिस्तान अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन जैसे कि SEATO (1954) और बगदाद संधि या CENTO (1955) में शामिल हो गया।**
- **इस अवधि में विश्व बैंक की मध्यस्थता के साथ 1960 में सिंधु जल संधि (IWT) पर हस्ताक्षर किए गए। भारत ने शांति की अपेक्षा से सद्भावना में संधि पर हस्ताक्षर किए।**
- **1962 से 1964 के बीच दोनों देशों के मध्य छह दौर की वार्ता हुई।**
- **नए सिरे से शत्रुता: चूंकि पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में अशांति प्रसारित करने के प्रयास जारी रहे, इसलिए 1965 में दूसरा भारत-पाकिस्तान युद्ध हुआ।**
- **ताशकंद समझौता 1966-** सोवियत संघ की मध्यस्थता में ताशकंद समझौते के साथ संघर्षयुद्ध समाप्त हो गया, जिसमें दोनों देश युद्ध-पूर्व स्थिति बनाए रखने के लिए सहमत हुए।
- **तीसरा भारत पाकिस्तान युद्ध: भारत द्वारा समर्थित पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्रता आंदोलन के मुद्दे पर युद्ध प्रारंभ हुआ। इसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ।** इसके पश्चात संपन्न शिमला समझौते (1972) का उद्देश्य शांतिपूर्ण द्विपक्षीय संबंध स्थापित करना और कश्मीर में नियंत्रण रेखा की शुचिता बनाए रखना था।
- **शिमला समझौता 1972:** प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो के मध्य शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए -
  - शिमला समझौते द्वारा **17 दिसंबर, 1971 को युद्धविराम रेखा को दोनों देशों के मध्य की नई "नियंत्रण रेखा (LOC)" के रूप में चिह्नित किया गया।** कोई भी पक्ष इसे बदलने का एकपक्षीय प्रयास नहीं कर सकता और "किसी भी पक्ष की स्वीकृत स्थिति के प्रति पूर्वाग्रह के बिना दोनों पक्षों द्वारा इसका सम्मान किया जाएगा"।
  - इस समझौते में दोनों पक्ष **इस बात पर भी सहमत हुए थे कि प्रत्यक्ष द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से सभी मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान किया जायेगा।**
- **पाकिस्तान में घरेलू अशांति-** जनरल ज़िया-उल-हक, जुल्फिकार अली भुट्टो को अपदस्थ करके 1978 में स्वयं राष्ट्रपति बन गया और इस्लामी कानून व्यवस्था आरंभ की। भुट्टो को 1979 में फांसी दे दी गई।
- 1984 में **ऑपरेशन मेघदूत** से **सियाचिन ग्लेशियर भारत के नियंत्रण में आ गया।**
- **1988 का समझौता - दोनों देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया कि कोई भी पक्ष एक-दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों या केंद्रों पर आक्रमण नहीं करेगा।** इनमें "परमाणु ऊर्जा और शोध रिएक्टर, ईंधन निर्माण, यूरेनियम संवर्द्धन, समस्थानिक पृथक्करण और पुन: प्रसंस्करण सुविधाओं के साथ-साथ किसी भी रूप में विकिरणित परमाणु ईंधन तथा पदार्थ वाले कोई भी अन्य प्रतिष्ठान और

रेडियो-सक्रिय पदार्थों की भारी मात्रा भंडारित करने वाले प्रतिष्ठान सम्मिलित हैं।" **जनवरी 1992 से, भारत और पाकिस्तान अपने-अपने नागरिक परमाणु सुविधाओं की सूचियों का आदान-प्रदान करते रहे हैं।**

- **1989 में कश्मीर घाटी में सशस्त्र विद्रोह शुरू हुआ।** मुस्लिम राजनीतिक अभिकर्ताओं ने राज्य सरकार पर 1987 के राज्य विधानसभा के चुनावों में हेर-फेर करने का आरोप लगाने के बाद उग्रवादी विंग बना लीं। **भारत ने इस विद्रोह को न केवल एक आंतरिक सुरक्षा चुनौती के रूप में देखा, बल्कि पाकिस्तान द्वारा समर्थित आक्रामक कार्रवाई के रूप में भी देखा। इसमें आतंकवादियों को प्रशिक्षण, हथियार और रसद सहायता प्रदान करने का आरोप लगाया गया।**
- **1991 में दोनों देशों ने सैन्य अभ्यास, सेना अथवा जहाजों की तैनाती और सेना की आवाजाही की अग्रिम अधिसूचना प्रदान करने** के साथ-साथ हवाई क्षेत्र का उल्लंघन रोकने और ओवरफ्लाइट नियमों की स्थापना करने संबंधी समझौतों पर हस्ताक्षर किया।
- **रासायनिक हथियारों का उपयोग प्रतिबंधित करने वाले संयुक्त घोषणा पत्र पर 1992 में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किया गया।**
- **1998 में ऑपरेशन शक्ति** के तहत भारत ने 11 और 13 मई को पांच नाभिकीय परीक्षण की श्रृंखला को संपन्न किया। इन परीक्षणों ने **भारत को नाभिकीय आयुध संपन्न राष्ट्र घोषित किया,** जिससे भारत की नाभिकीय आयुध विकसित करने की उसकी क्षमता का प्रदर्शन हुआ। **इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप पाकिस्तान ने चघाई पहाड़ियों में अपने छह नाभिकीय आयुध का परीक्षण किया।** इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप **दोनों देशों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए गए।** उसी वर्ष, दोनों देशों ने लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण किया।
- **1999 में भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर की बस यात्रा की और** पाकिस्तानी प्रधानमंत्री **नवाज शरीफ से मुलाकात की। दोनों देशों ने शिमला समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की और कई 'विश्वास निर्माण उपाय (Confidence Building Measures: CBM)'** आरंभ करने पर सहमति व्यक्त की। दोनों ने **लाहौर घोषणापत्र पर** हस्ताक्षर किए:
  - 1998 में दोनों देशों के क्षेत्रीय तनाव को बढ़ाने वाले नाभिकीय परीक्षणों की पृष्ठभूमि में भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की लाहौर, पाकिस्तान यात्रा के दौरान 21 फरवरी, 1999 को हस्ताक्षर किया।
  - इसमें निम्नलिखित प्रतिबद्धताएं शामिल थीं:
    - **शांति, सुरक्षा और संप्रभुता के लिए परस्पर सम्मान।**
    - **नाभिकीय हथियारों के आकस्मिक या अनधिकृत उपयोग के जोखिम को कम करने के उपायों** पर समझौता,
    - **विश्वास-निर्माण उपाय (CBMs): आर्थिक सहयोग और पीपल टू पीपल संपर्क सहित विभिन्न क्षेत्रों में आपसी विश्वास और भरोसा बढ़ाने के लिए कदम उठाना।**
- **हालांकि, मई 1999 में कारगिल युद्ध आरंभ हो जाने से** पूर्ववर्ती राजनयिक प्रयास कुछ हद तक विफल हो गए। **पाकिस्तानी सेनाओं ने नियंत्रण रेखा पार कर भारतीय क्षेत्र में स्थित रणनीतिक स्थानों पर कब्जा कर लिया।** इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भारत ने घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए 'ऑपरेशन विजय' किया, जिसके तहत लगभग 200,000 सैनिकों को तैनात किया गया तथा घुसपैठियों के ठिकानों पर समन्वित हमले किए गए।

- **अक्टूबर 1999 में, पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने सैन्य विद्रोह का नेतृत्व किया और तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ** को हटाकर अपने आपको सरकार के मुखिया के रूप में स्थापित किया।
- पाकिस्तान स्थित चरमपंथी समूह हरकत-उल-मुजाहिदीन के सदस्यों द्वारा भारतीय वायुक्षेत्र में **इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट- IC 814 की हाईजैकिंग** करके **भारत के विरूद्ध आतंकवाद का समर्थन करने में पाकिस्तान की भूमिका को रेखांकित किया।**
- 2001 में श्रीनगर में कश्मीर विधानसभा पर हमले में 38 लोगों की मृत्यु के कारण **नियंत्रण रेखा पर तनाव में वृद्धि हुई। जुलाई में, भारतीय प्रधान मंत्री स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ आगरा में दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में मिले।** यह शिखर सम्मेलन दो दिनों बाद विफल हो गया, क्योंकि दोनों पक्ष कश्मीर के मुद्दे पर समझौते तक पहुंचने में असमर्थ रहे। **13 दिसंबर को, नई दिल्ली में भारतीय संसद पर सशस्त्र हमले में 14 लोग मारे गए। भारत ने हमलों के लिए लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मुहम्मद पर आरोप लगाया।** इस हमले से नियंत्रण रेखा पर भारत (**जिसे ऑपरेशन पराक्रम के रूप में जाना जाता है**) और पाकिस्तान की सेनाओं के मध्य गतिरोध उत्पन्न हो गया जो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के बाद अक्टूबर 2002 समाप्त हुआ।
- **2002 में - अमेरिकी दबाव में (संयुक्त राज्य अमेरिका में 11 सितंबर, 2001 के हमलों के बाद) राष्ट्रपति मुशर्रफ ने प्रतिज्ञा की कि पाकिस्तान अपनी धरती पर चरमपंथ का सामना करेगा, लेकिन उन्होंने यह भी पुष्टि की कि कश्मीर पर उनके देश का अधिकार है।**
- **2003 में सितंबर में संयुक्त राष्ट्र की महासभा की बैठक के दौरान मुशर्रफ द्वारा LOC पर युद्धविराम की मांग के बाद, दोनों देश** LOC पर तनाव शांत करने और युद्धस्थिति समाप्त करने के समझौते पर पहुंचे।
- **2004 में वाजपेयी और मुशर्रफ ने इस्लामाबाद में SAARC के 12वें शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री वाजपेयी और पाकिस्तानी राष्ट्रपति मुशर्रफ के मध्य प्रत्यक्ष बातचीत हुई** और इसी वर्ष बाद में दोनों देशों के विदेश सचिवों के मध्य भी वार्ता हुई। यह वर्ष **संयुक्त वार्ता प्रक्रियाओं** की शुरुआत के लिए महत्वपूर्ण था। इन वार्ता प्रक्रियाओं में सरकार के विभिन्न स्तरों के अधिकारियों (विदेश मंत्रियों, विदेशी सचिवों, सैन्य अधिकारियों, सीमा सुरक्षा अधिकारियों, मादक द्रव्य निषेध अधिकारियों और परमाणु विशेषज्ञों सहित) के बीच द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की जाती हैं।
- **नवंबर 2004 में**, जम्मू-कश्मीर की यात्रा की पूर्व संध्या पर भारतीय **प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह** ने घोषणा की कि भारत वहां सैनिकों की तैनाती कम करेगा।
    - 2006 में **भारत ने जम्मू-कश्मीर की स्थिति में "सुधार" का उल्लेख करते हुए वहां से 5000 सैनिकों को वापस बुला लिया,** लेकिन दोनों देश सियाचिन ग्लेशियर से सेनाएँ वापस हटाने के समझौते तक नहीं पहुंच पाए।
- सितंबर 2006 में, राष्ट्रपति मुशर्रफ और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने **भारत-पाकिस्तान संस्थागत आतंकवाद रोधी तंत्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की।**
- 18 फरवरी, 2007 को, भारत और पाकिस्तान के मध्य चलने वाली ट्रेन **'समझौता एक्सप्रेस' में नई दिल्ली के उत्तर में स्थित पानीपत में बम-विस्फ़ोट हुआ।** इसमें 68 लोगों की मृत्यु हुई और दर्जनों घायल हुए।

- **पांचवें दौर की सयुंक्त वार्ता प्रक्रिया के भाग के रूप में परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल की समीक्षा से संबंधित** CBMs (विश्वास बहाली उपाय) **का आयोजन किया गया।** साथ ही **संयुक्त आतंकवाद रोधी तंत्र (JATM) का दूसरा दौर भी आयोजित किया गया।**
  - **27 दिसंबर, 2007 को रावलपिंडी में एक रैली से निकलते समय बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गई।**
- **2008 में** भारत 7.6 अरब डॉलर की गैस पाइपलाइन परियोजना (TAPI) में तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ **फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में** सम्मिलित हो गया।
  - **वरिष्ठ नागरिकों के लिए उदार ट्रिपल-एंट्री परमिट सुविधा** की स्वीकृति सहित **कश्मीर-विशिष्ट CBMs की श्रृंखला पर भी सहमति व्यक्त की गई।**
  - **जुलाई** में, भारत ने **काबुल स्थित भारतीय दूतावास पर बम हमले** के लिए पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) निदेशालय को दोषी ठहराया, जिसमें 58 लोगों की मृत्यु हो गई थी और 141 लोग घायल हो गए थे।
  - अगस्त में **जनरल परवेज़ मुशर्रफ़** ने घरेलू राजनीतिक असंतोष और विरोध का सामना करते हुए त्यागपत्र दे दिया और निर्वासन में चले गए। इसके बाद सितंबर में नए **राष्ट्रपति चुनाव हुए** और आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति बने।
  - सितंबर में, पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने औपचारिक रूप से दोनों देशों के बीच कई व्यापार मार्गों को खोलने की घोषणा की।
  - अक्टूबर में, **LOC के आर-पार व्यापार आरंभ हुआ**, हालांकि यह 21 वस्तुओं तक सीमित था और **सप्ताह में केवल दो दिन** हो सकता था।
- **26 नवंबर 2008 को, सशस्त्र बंदूकधारियों ने मुंबई में कई स्थानों पर नागरिकों पर गोलाबारी की।** इन हमलों के परिणामस्वरूप ताज होटल की लगभग तीन दिन तक घेराबंदी चली, जहां बंदूकधारी तब तक छुपे रहे जब तक उनमें से एक को छोड़कर बाकी भारतीय सुरक्षा बलों के अभियान में मारे नहीं गए। इन हमलों में 160 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। **जीवित पकड़े गए एकमात्र हमलावर अजमल कसाब ने बताया कि हमलावर लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य थे। हमलों के चलते, भारत ने पाकिस्तान के साथ वार्ता-प्रक्रिया स्थगित कर दी।**
- **2009 में पाकिस्तानी सरकार ने माना कि मुंबई हमलों की योजना आंशिक रूप से पाकिस्तान की भूमि पर बनाई गई हो सकती है,** साथ ही पकिस्तान ने इन आरोपों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया कि पाकिस्तान की आसूचना एजेंसियों द्वारा षडयंत्रकर्ताओं को अनुमति और सहायता दी गई है।
  - **भारतीय प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह और पाकिस्तानी प्रधान मंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने मिस्र के शर्म अल शेख में गुट निरपेक्ष आंदोलन (NAM) के शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात करके** भविष्य में वार्ता की रूपरेखा तैयार करते हुए संयुक्त वक्तव्य जारी किया।
  - **हालांकि, मनमोहन सिंह ने तत्कालीन परिस्थियों में संयुक्त वार्ता प्रक्रिया पुन: आरंभ करने से मना कर दिया।**
  - **भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ कठोर रवैया अपनाना जारी रखा और कहा कि अपनी भूमि पर आतंकवादी समूहों पर लगाम लगाकर वास्तविक वार्ता पुन: आरंभ करने की दिशा में पहला कदम उठाने का उत्तरदायित्व पाकिस्तान पर है।**
  - अगस्त में, **भारत ने पाकिस्तान को हमलों के संबंध में साक्ष्यों का एक नया दस्तावेज दिया** और लश्कर-ए-तैयबा से संबंध रखने वाले जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज मोहम्मद सईद पर मुकदमा चलाने की मांग की।

- जनवरी **2010 में, भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं ने कश्मीर में LOC पर गोलाबारी हुई।** यह इस तरह की घटनाओं की श्रृंखला में नवीनतम कड़ी है जिससे इस क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। फरवरी में, भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों ने वार्ता के लिए नई दिल्ली में मुलाकात की। यह बैठक जुलाई में इस्लामाबाद में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद हुई। **मई में, मुंबई हमले के मामले में अजमल कसाब को हत्या, षडयंत्र और भारत के विरूद्ध युद्ध छेड़ने का दोषी पाया गया और मृत्युदण्ड दिया गया।**
- **जनवरी 2011** में, भारतीय गृह सचिव जी.के. पिल्लई ने कहा कि भारत 2007 के समझौता एक्सप्रेस विस्फ़ोट के संबंध में पाकिस्तान के साथ जानकारी साझा करेगा। दोनों देशों के विदेश सचिव फरवरी में थिंपू में मिले और "सभी मुद्दों पर शांति वार्ता पुन: आरंभ करने पर सहमति व्यक्त की।"
- **जनवरी 2013** में भारत और पाकिस्तान ने एक-दूसरे पर **कश्मीर में संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, इस्लामाबाद ने भारतीय सैनिकों पर सीमा पार हमले का आरोप लगाया, जिसमें एक सैनिक मारा गया** और भारत ने पाकिस्तानी गोलाबारी से अपनी ओर एक घर नष्ट होने का आरोप लगाया।
  - सितंबर 2013 में, **भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान न्यूयॉर्क में मिले।** दोनों नेता ने अशांत कश्मीर में दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच तनाव समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की।
- 12 फरवरी, **2014 को, भारत और पाकिस्तान ने अपने-अपने क्षेत्रों में रोककर रखे गए ट्रकों को मुक्त करने पर सहमति व्यक्त की,** इसके साथ भारत-प्रशासित कश्मीर में कथित रूप से ब्राउन शूगर के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार से आने वाले ट्रक को जब्त करने से आरंभ हुआ तीन सप्ताह का गतिरोध समाप्त हो गया।
  - 1 मई, 2014 को, पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल रहेल शरीफ ने कश्मीर को पाकिस्तान की "जॉगुलर नस" कहा और कहा कि इस क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए इस विवाद को कश्मीरियों की इच्छाओं और आकांक्षाओं और UNSC के प्रस्तावों के अनुसार समाधान किया जाना चाहिए।
  - 25 मई, 2014 को, पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से पूर्व अपनी जेलों से सद्भावना के रूप में 151 भारतीय मछुआरों को रिहा किया।
- 27 मई, **2014 को, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ बातचीत की।** दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों का नया युग आरंभ करने की इच्छा व्यक्त की।
- **दिसंबर 2015 में मोदी ने नवाज शरीफ के जन्मदिन** और उनकी पोती की शादी पर **लाहौर की आश्चर्यजनक यात्रा की।**
- **जनवरी 2016 में छह बंदूकधारियों ने पठानकोट में भारतीय वायु सेना के बेस पर हमला किया,** जिसमें चार घंटों तक चले संघर्ष में सात सैनिक शहीद हो गए।
- **सितंबर 2016 में संदिग्ध आतंकवादियों ने कश्मीर के उरी में भारतीय सेना के बेस में घुसकर 18 सैनिकों को मार दिया।** चार हमलावर भी मारे गए, 11 दिन बाद **भारतीय सेना ने कहा कि** उसने पाकिस्तान में नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी लॉन्च पैड नष्ट करने के लिए **"सर्जिकल स्ट्राइक" की है।**

- 14 फरवरी, 2019 को, जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के एक आत्मघाती हमलावर ने आतंकी हमला किया, जिसमें 40 CRPF के जवान शहीद हो गए। प्रतिक्रिया स्वरूप:
  - भारत ने **पाकिस्तान का सबसे पसंदीदा राष्ट्र (Most favoured nation) का दर्जा समाप्त कर दिया**
  - **भारत में आयातित सभी पाकिस्तानी वस्तुओं पर सीमा शुल्क बढ़ाकर** 200% कर दिया गया
  - भारत सरकार ने **मनी लॉन्ड्रिंग पर वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल करने का आग्रह किया।**
  - 26 फरवरी को, **भारतीय वायु सेना** के बारह मिराज 2000 जेट विमानों ने नियंत्रण रेखा पार की और **पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी शिविर पर हमला किया। तत्कालीन विदेश सचिव विजय गोखले ने अपने बयान में उल्लेख किया था कि "यह नॉन मिलिट्री प्री-एम्पटिव एक्शन (Non-military pre-emptive action) विशेष रूप से** जैश-ए-मोहम्मद (JeM) **शिविर को लक्षित करके किया गया था।"** विदेश सचिव के अनुसार "विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिली थी कि JeM एक और आत्मघाती आतंकी हमला करने की कोशिश कर रहा था... आसन्न खतरे को देखते हुए, एक प्री-एम्पटिव स्ट्राइक बिल्कुल आवश्यक हो गया था।"
- **अगस्त 2019** में संसद द्वारा भारत के संविधान के **अनुच्छेद 370** में बदलाव के बाद, पाकिस्तान ने नई दिल्ली से **अपने उच्चायुक्त को वापस बुला लिया और भारतीय उच्चायुक्त को निष्कासित कर दिया।** पाकिस्तान ने **भारत के साथ व्यापार भी बंद कर दिया।** हालांकि, **इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के उसके प्रयासों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत कम ध्यान मिला। भारत ने पाकिस्तान के ऐसे कदमों की निंदा करते हुए इसे भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास बताया है।**

1.2. भारत-पाकिस्तान संबंध एक रूपरेखा: वार्ता-अवरोध-वार्ता (India-Pakistan Relations A Framework: Dialogue-Disruption-Dialogue)

- भारत तथा पाकिस्तान के संबंधों की **पहचान भिन्न विवरणों से होती है जिसका आरंभ** औपनिवेशिक शासन, द्वि-राष्ट्र सिद्धांत तथा भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि में, **वर्ष 1947 में ही उनकी स्वतंत्रता-प्राप्ति से हो चुका था।** इससे क्षेत्राधिकार (जम्मू और कश्मीर), सीमाओं (सर क्रीक और सियाचिन) तथा सुरक्षा (आतंकवाद) जैसे मुद्दों पर अपनी स्थितियों से समझौता करना कठिन होता गया।
- **भारत के विरुद्ध पाकिस्तान की संस्थापनात्मक आशंकाओं** तथा **भारत के विपरीत धड़े के रूप में अपने आप को परिभाषित करने की चाह ने उसे बहुत से मुद्दों पर हठपूर्ण रुख अपनाने को बाध्य किया है।**
- **इस संबंध की संरचना विवादोन्मुख रही है तथा यह आरंभ से ही असंतुलित रही है।**
- **स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात के दशकों से ही वार्ता-अवरोध-वार्ता का चक्र चलता रहा है। इसका तात्पर्य है युद्ध के खतरों के समानांतर ही शांति तथा सहयोग के दौर भी जारी रहे या उनके मार्ग में आतंकवाद की हिंसक कड़ियों के कारण अड़चनें भी आती रहीं।**
- यद्यपि यदा-कदा भारत तथा पाकिस्तान के मध्य 1960 की सिंधु जल संधि, **1966 का ताशकंद समझौता**, तथा **1972 का शिमला समझौता** जैसे **समझौते एवं संधियां भी हस्ताक्षरित किए जाते रहे हैं**, किंतु **1990 के दशक के अंत में संयुक्त शांति प्रक्रिया (CDP)** आरंभ होने तक शत्रुता-पूर्ण रुख़ रखने वाले दोनों देशों के मध्य कभी कोई क्रमबद्ध शांति प्रक्रिया आरंभ नहीं हो पाई।
- **1997 में माले में भारतीय प्रधानमंत्री आई. के. गुजराल तथा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ के मध्य हुई बैठक में एक संयुक्त वार्ता प्रक्रिया (CDP) की आवश्यकता पर बल दिया गया।**
- **यद्यपि इस संयुक्त वार्ता में भी 1999 के कारगिल युद्ध, 2001 में भारतीय संसद पर हमले, तथा 2008 में मुंबई में 26/11 हमले जैसी घटनाओं के कारण व्यवधान आते रहे हैं।**
- दोनों देशों द्वारा वार्ता प्रक्रिया पुनः आरंभ करने के पश्चात से 2010 में CDP का नाम बदल कर **'रिज़्यूम्ड डायलाग या पुनःस्थापित वार्ता** रख दिया गया तथा इसकी विषय सूची में मुंबई मुक़द्दमे में होने वाली प्रगति को जोड़ने जैसे कुछ परिवर्तन भी किए गए।
- **इस पुनःस्थापित वार्ता के दो दौर हुए** तथा विदेश मंत्रालय ने इसमें हुई प्रगति का विश्लेषण किया। **किंतु 2012 में सीमा पर गोली-बारी तथा भारतीय सैनिक हेमराज का सर काट लिए जाने की घटना के बाद इसे पुनः रोक दिया गया।** इस घटना के बाद **तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि पाकिस्तान के साथ सामान्य संबंध बहाल नहीं रखे जा सकते।**
- **2015 में उफ़ा में हुए SCO सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ के मध्य हुई वार्ता में यह निर्णय लिया गया कि दोनों पक्ष आतंकवाद तथा सीमा पर शांति को लेकर वार्ताएं एक साथ करेंगे।**
- **दिसंबर 2015 को** 'हार्ट ऑफ एशिया' सम्मेलन के लिए सुषमा स्वराज की पाकिस्तान यात्रा के दौरान यह तय किया गया कि **भारत तथा पाकिस्तान** 'संयुक्त वार्ता' या 'पुनःस्थापित वार्ता' के नाम से नहीं बल्कि **'विस्तृत द्विपक्षीय वार्ता' के शीर्षक तले व्यापक मुद्दों पर चर्चा आयोजित करेंगे।**
- **नवीनतम चरण में, दोनों देशों के बीच 2015 में पुनः आरंभ हुई वार्ता में 2016 में पठानकोट तथा उरी में हुए आतंकी हमलों के कारण पुनः व्यवधान आ गया।**
- **भारत पाकिस्तान के साथ आतंकवाद तथा हिंसा मुक्त वातावरण में शांतिपूर्ण, मैत्रीपूर्ण तथा सहयोगपूर्ण संबंध की इच्छा रखता है।**

 ©Vision IAS

- विदेश मंत्रालय के अनुसार, **भारत की पाकिस्तान नीति के निम्नलिखित बिंदु हैं:**
    - **मुद्दों को बात-चीत के माध्यम से सुलझाया जा सकता है;**
    - **इस प्रकार की बातचीत में दो ही पक्ष भारत तथा पाकिस्तान सम्मिलित हो सकते हैं;**
    - **हालांकि आतंकवाद तथा वार्ताएं साथ-साथ नहीं चल सकतीं।**

1.3. मुख्य मुद्दे (Key Issues)

न्यूयॉर्क में भारत, पाकिस्तान के विदेश सचिवों की भेंट के पश्चात **उनके द्वारा 23 सितंबर, 1998 को दिए गए संयुक्त वक्तव्य में** दोनों देशों के मध्य CDP में **सम्मिलित किए जाने वाले मुद्दों** तथा उन्हें ले कर किस स्तर पर चर्चा की जाएगी इसकी पहचान की गयी।

1. **विश्वास बहाली उपायों (CBM) समेत शांति तथा सुरक्षा –** विदेश सचिव
2. **जम्मू और कश्मीर -** विदेश सचिव
3. **सियाचिन –** जल तथा ऊर्जा सचिव
4. **वुलर बांध /तुलबुल नौवहन परियोजना –** जल तथा ऊर्जा सचिव
5. **सर क्रीक –** अतिरिक्त रक्षा सचिव / महासर्वेक्षक
6. **आतंकवाद तथा मादक द्रव्यों की तस्करी –** गृह/आतंरिक मामलों के सचिव
7. **आर्थिक तथा व्यापारिक सहयोग —** वाणिज्य सचिव
8. **विविध क्षेत्रों में मैत्रीपूर्ण विचार-विमर्श को प्रोत्साहन –** संस्कृति सचिव

- **आतंकवादः भारत में आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तानी तत्वों की भूमिका के बारे में भारत पकिस्तान को सदैव अवगत कराता रहा है।** इस मुद्दे पर भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन भी मिलता रहा है। **पाकिस्तान तथा उसके नियंत्रण वाले क्षेत्रों प्रसारित किये जा रहे आतंकवाद ने** स्थायी संबंधों के निर्माण हेतु की गयी पहलों को अवरोधित ही नहीं किया है अपितु उसके आयाम भी सीमित कर दिए हैं।
- **कश्मीर: पूर्व देशी रियासत जम्मू और कश्मीर को ले कर 1947 में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध के पश्चात यह क्षेत्र भारत तथा पाकिस्तान के बीच बंट गया। लाइन ऑफ कंट्रोल** अर्थात **नियंत्रण रेखा (1972 के पश्चात LoC) के नाम से जानी जाने वाली एक युद्ध विराम रेखा भारत तथा पाकिस्तान प्रशासित हिस्सों को पृथक करती है।** पाकिस्तान इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे मंचों पर अंतर्राष्ट्रीय रंग देने की चेष्टा करता रहा है। यद्यपि इसके नुकसान ही सामने आए हैं। CDP ही एकमात्र ऐसा द्विपक्षीय मंच है जिस पर भारत तथा पाकिस्तान के बीच कश्मीर को ले कर औपचारिक वार्ताएं होती हैं।
- **सामान्यीकरण**: सामान्यीकरण का आशय **दोनों देशों के बीच विवादपूर्ण मुद्दों पर होने वाली प्रगति से है।** इसमें **व्यापार, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, तथा सियाचिन और सर क्रीक** जैसे सुगमता से हल किए जा सकने वाले मुद्दों समेत सभी मामलों का समाधान तलाशा जाना सम्मिलित है।
- **संबंधों में हालिया कटुता के संदर्भ में सिंधु जल संधि से संबंधित मुद्दों ने प्रमुखता प्राप्त कर ली है।**

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2025
▸ प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
DELHI: 23 सितंबर, 1 PM | 22 अगस्त, 1 PM | BHOPAL: 23 जुलाई | LUCKNOW: 18 जुलाई | JAIPUR: 5 सितंबर | JODHPUR: 11 जुलाई
Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.
/visionias.upsc /c/VisionIASdelhi /c/VisionIASdelhi /t.me/s/VisionIAS_UPSC
DELHI: HEAD OFFICE: 1st floor, Apsara Arcade, Near Gate-7 Karol Bagh Metro Station, 1/8 b, Pusa Road, Karol Bagh, Delhi – 110005 | CONTACT: 8468022022, 9019066066
AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI

1.4. सिंधु जल समझौता (Indus Water Treaty)

- **विश्व बैंक की मध्यस्थता में** भारत तथा पाकिस्तान के बीच 9 वर्षों तक चली चर्चा के पश्चात **1960 में सिंधु जल समझौते पर** हस्ताक्षर किए गए। विश्व बैंक भी इसका एक हस्ताक्षरकर्ता है। इस पर **तत्कालीन भारतीय प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा तत्कालीन पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे।**
- यह संधि **सिंधु बेसिन से होकर बहने वाली छह नदियों** वाली सिंधु प्रणाली की नदियों के पूर्ण तथा संतोषप्रद उपयोग से संबंधित है।
- ये समझौता विश्वबैंक के भूतपूर्व अध्यक्ष यूजीन ब्लैक की पहलों का परिणाम है।

1.4.1. महत्व (Significance)

- **इसे सर्वाधिक सफल अंतर्राष्ट्रीय संधियों में से एक माना जाता है।**
- **यह समझौता दोनों देशों के मध्य प्रायः उत्पन्न होने वाले तनावों तथा विवादों के बावजूद भी कायम है।**
- **इसने आधी शताब्दी से अधिक समय तक सिंचाई तथा जल-विद्युत् विकास की रूपरेखा प्रदान की है।**
- बेसिन के जल के साझेदारी अनुपात (सिंधु नदी-प्रणाली में बहने वाले संपूर्ण जल की मात्रा का 80.52 प्रतिशत पाकिस्तान के लिए आरक्षित है।) तथा संपूर्ण आयतन में हिस्सेदारी को देखते हुए इसके निचले अपवाह क्षेत्र में आने वाले देश (पाकिस्तान) के लिए यह **एक उदार संधि है।**
- **यह प्रथम तथा एकमात्र ऐसी संधि है जो जल की साझेदारी से आगे बढ़ कर नदियों के बंटवारे तक को शामिल करती है।**

1.4.2. महत्वपूर्ण प्रावधान (Important Provisions)

- **तीन पश्चिमी नदियों (झेलम, चेनाब, सिंधु) के जल का अबाधित उपयोग पाकिस्तान करेगा।**
- **तीन पूर्वी नदियों (रावी, ब्यास तथा सतलुज) के जल का अबाधित उपयोग भारत करेगा।**

1.4.3. सिंधु, झेलम तथा चेनाब: पश्चिमी नदियां तथा भारत (Indus, Jhelum and Chenab: Western Rivers and India)

- संधि की शर्तों के अनुसार, **भारत इन नदियों के जल के उपयोग के मामले में निम्नलिखित स्थितियों को छोड़ कर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा:**
    - **घरेलू उपयोग;**
    - **गैर-उपभोगकारी उपयोग ;**
    - **अनुलग्नक C में निर्धारित कृषि संबंधी उपयोग तथा**
    - **अनुलग्नक D में निर्धारित जल-विद्युत् ऊर्जा उत्पादन।**
- **अनुलग्नकों D तथा E में निर्धारित शर्तों के अतिरिक्त, भारत पश्चिमी नदियों के जल का संचय नहीं करेगा अथवा किसी भी प्रकार की भंडारण सुविधाओं का निर्माण नहीं करेगा।**
- इस प्रकार, भारत को **भंडारण सुविधाओं के निर्माण पर आरोपित प्रतिबंधों के साथ** पश्चिमी नदियों के जल के उपयोग की अनुमति है।
- संधि के अनुसार, **कुछ विशिष्ट मामलों को छोड़ कर भारत द्वारा पश्चिमी नदियों पर कोई भंडारण सुविधा या सिंचाई प्रणालियों का निर्माण नहीं किया जा सकता है।**

- संधि के अनुलग्नकों में निर्धारित विशिष्ट प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए **भारत इन नदियों पर जल-विद्युत् ऊर्जा संबंधी संयंत्र निर्मित कर सकता है।**

संधि की कार्यप्रक्रिया (Working of the treaty):

- इस संधि में दोनों **देशों के मध्य नदियों के उपयोग से संबंधित सहयोग तथा सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु स्थायी सिंधु आयोग नाम से एक व्यवस्था निर्मित की गई है।** इसमें **दोनों देशों के एक-एक आयुक्त शामिल** हैं।
- इस संधि में आने वाली बाधाओं से निपटने के लिए स्पष्ट प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं:
    - **"प्रश्नों"** पर आयोग विचार करता है;
    - **"मतभेदों"** का समाधान एक निष्पक्ष विशेषज्ञ ढूंढता है।
    - **"विवादों** की सुनवाई "मध्यस्थता न्यायालय" के नाम से जाने जाने वाले एक सात सदस्यीय मध्यस्थ न्यायाधिकरण में की जाती है।
    - **"विवादों" तथा "मतभेदों" के मामले में विश्व बैंक की भूमिका दोनों पक्षों द्वारा आग्रह किए जाने पर कुछ विशिष्ट भूमिकाओं को निभाने हेतु विशिष्ट लोगों के चयन तथा निर्धारण तक ही सीमित है।**

मानचित्र 3.2 सिंधु नदी प्रणाली

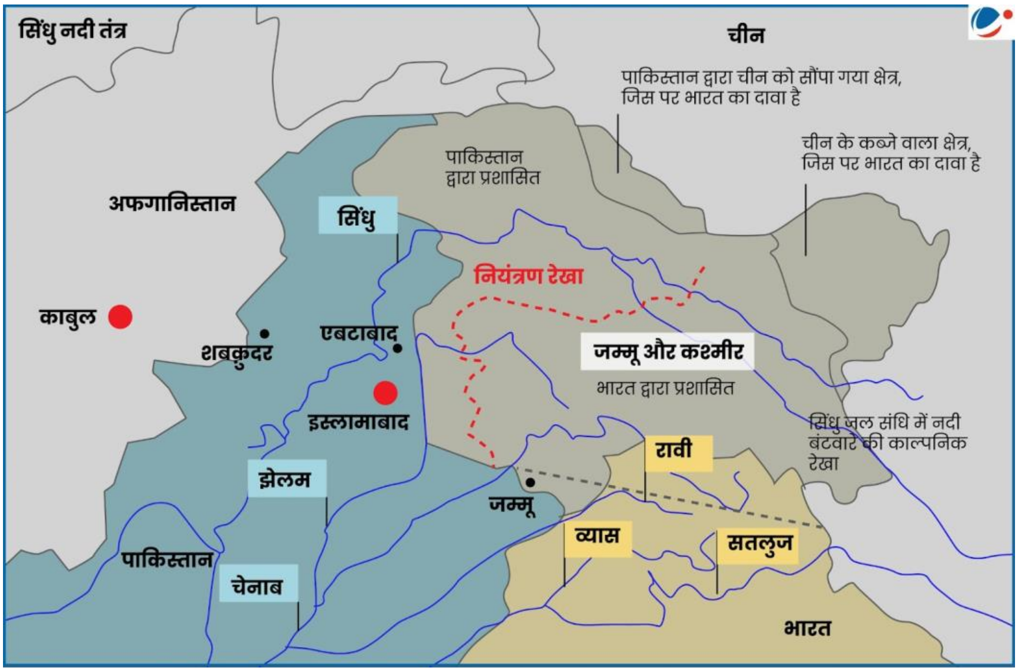

स्रोत :http://nriachievers.in/wp-content/uploads/2017/03/1.jpg

1.4.4. हालिया गतिविधियां (Recent Developments)

- जनवरी 2023 में **भारत ने संधि के अनुच्छेद XII(2) के अनुसार, पाकिस्तान को सूचित किया कि वह सिंधु जल संधि को संशोधित करना चाहता है।** भारत ने इसका कारण **किशनगंगा और रतले जलविद्युत परियोजनाओं को सुलझाने में पाकिस्तान की हठधर्मिता (अस्थिरता/जिद)** को बताया। **भारत ने पाकिस्तान के हेग में मध्यस्थता न्यायालय में जाने के "एकतरफा" निर्णय का भी विरोध किया। भारत ने न्यायालयी प्रक्रिया का बहिष्कार किया था।**
- भारत तथा पाकिस्तान के मध्य भारत द्वारा किशनगंगा (330 मेगावाट) तथा रतले (850 मेगावाट) जल-विद्युत् ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण को ले कर असहमति है।
- दोनों देशों के मध्य इस बात को ले कर सहमति नहीं बन पा रही है कि इन दोनों जल-विद्युत् संयंत्रों की तकनीकी डिज़ाइन संबंधी विशेषताएं संधि का उल्लंघन तो नहीं कर रहीं।
- ये संयंत्र क्रमशः झेलम तथा चेनाब की सहायक नदी पर स्थित हैं।
- इन दोनों नदियों के साथ-साथ सिंधु को "पश्चिमी नदी" के रूप में चिन्हित किया गया है जिस पर पाकिस्तान को अबाधित उपयोग का अधिकार दिया गया है।
- संधि के अंतर्गत अन्य उपयोगों के तहत भारत को संधि में सम्मिलित अनुलग्नकों में दिए गए प्रतिबंधों के अतिरिक्त इन दोनों नदियों पर जल-विद्युत् ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण की अनुमति है।
- किशनगंगा तथा रतले जल-विद्युत् संयंत्रों को ले कर वार्ताएं जारी हैं। यद्यपि, भारत तथा पाकिस्तान द्वारा संधि की भिन्न शर्तों की तलाश की जाती रही है।
- पाकिस्तान ने विश्व बैंक से इन दोनों जल-विद्युत् ऊर्जा परियोजनाओं की डिज़ाइनों को लेकर उसकी आपत्तियों की जांच के लिए एक मध्यस्थता न्यायालय की स्थापना की मांग की है। भारत ने उसी उद्देश्य के लिए एक निष्पक्ष विशेषज्ञ की नियुक्ति की मांग की है।
- संधि के तहत विश्व बैंक को यह अधिकार नहीं है कि वह एक प्रक्रिया को हटा कर दूसरी को लागू कर सके।
- 12 दिसंबर, 2016 को, विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष जिम योंग किम ने यह घोषणा की कि विश्व बैंक दोनों पक्षों द्वारा आग्रह की गयी प्रक्रियाओं के संबंध में कोई भी कदम उठाने से पूर्व विचार करेगा।
- **2022 में विश्व बैंक ने किशनगंगा और रतले जलविद्युत परियोजनाओं पर मतभेदों को सुलझाने के लिए एक तटस्थ विशेषज्ञ और मध्यस्थता न्यायालय के अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भारत विवाद को सुलझाने के लिए दो समवर्ती प्रक्रियाओं की शुरुआत को संधि में निर्धारित क्रमिक तंत्र के प्रावधान का उल्लंघन मानता है। इसके चलते भारत ने अनुच्छेद XII (2) के तहत पाकिस्तान को नोटिस भेजा।**
- **अप्रैल 2023 में भारत को भेजे गए नोटिस पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया मिली, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार पत्र की जांच और हितधारकों के साथ परामर्श की प्रक्रिया प्रारंभ होनी है। सिंधु जल का स्थायी आयोग इस संदर्भ में दोनों पक्षों के लिए एक-दूसरे की स्थिति को संप्रेषित करने का प्रमुख मंच है।**

1.4.5. भारत की हालिया चिंताएं क्या हैं? (What are Indian Concerns in Recent Times?)

- भारतीय दृष्टिकोण से **संधि को लेकर मूल असंतोष इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि यह देश को पश्चिमी नदियों पर किसी भी भंडारण प्रणाली के निर्माण से रोकता है।** भारत द्वारा उठाई गई शिकायत यह है कि संधि में यह प्रावधान होने के बावजूद कि कुछ विशेष परिस्थितियों में भंडारण सुविधाओं का निर्माण किया जा सकता है फिर भी पाकिस्तान भारत के साथ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण जानबूझकर ऐसे प्रयासों को रोकता है।

- संधि में इंजीनियरिंग के अनेक प्रावधान हैं तथा यह भारतीय परियोजनाओं के डिजाइन को रोकने के लिए पाकिस्तान को अनुचित अधिकार देती है। **भारत पश्चिमी नदियों पर रन-ऑफ-द-रिवर परियोजनाओं (Run-of-the-river projects) का निर्माण करने का प्रयास कर रहा है।** रन-ऑफ-द-रिवर परियोजनाओं को सिंधु संधि के अंतर्गत परिभाषित सीमाओं के भीतर अनुमति है। परंतु, पाकिस्तान तीन "पश्चिमी नदियों" पर किसी भी प्रकार का भारतीय निर्माण कार्य नहीं चाहता एवं संधि के विवाद निपटारे प्रावधानों के तहत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की मांग करता है।
- **1960 में हुई संधि के बाद से ही** दोनों देश पश्चिम में बहने वाली नदियों पर भारत द्वारा **प्रस्तावित बगलिहार, किशनगंगा तथा रतले** (चेनाब नदी) जलविद्युत संयंत्रों सहित **कई परियोजनाओं पर विवादों में उलझे रहे हैं।**
- चूंकि यह तथ्य ध्यातव्य है कि **जल जम्मू-कश्मीर का प्राकृतिक संसाधन है एवं वहां के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है अतः संधि के अंतर्गत इसका नदी जल पाकिस्तान को देने के प्रावधान से जन शिकायतों की संख्याओं में वृद्धि हुई है।**

1.4.6. संधि पर उठते सवाल (Increasing Questions on the Treaty)

- **पाकिस्तान द्वारा राज्य नीति के साधन के रूप आतंकवाद का प्रयोग** किए जाने के संदर्भ में संधि पर प्रश्न उठते रहे हैं।
- 1960 में **भारत ने एक सद्भावना संकेत के रूप में संधि को स्वीकार कर लिया था।** परंतु, संधि में प्रवेश के पांच वर्षों के भीतर **1965 में पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर के भारतीय हिस्से पर कब्जा करने के लिए युद्ध आरंभ कर दिया।**
- **पाकिस्तान बिना किसी उत्तरदायित्व के मात्र अधिकारों की मांग करता है।** कई लोग तर्क देते हैं कि संधि कानून (Law of Treaties) पर वियना सम्मेलन के अनुच्छेद 62 के अंतर्गत राज्य-समर्थित आतंकवादी समूहों के उपयोग (पाकिस्तान द्वारा) को **भारत द्वारा सिंधु संधि से वापसी के लिए उचित आधार बनाया जा सकता है।** अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भी इस सिद्धांत को बरकरार रखा है कि **परिस्थितियों में मौलिक परिवर्तन के कारण कोई संधि भंग की जा सकती है।**
- जैसा कि डेविड लिलिएंथल ने तर्क दिया था, "बम एवं गोलाबारी के साथ भी कोई सेना जमीन की इतनी बर्बादी नहीं कर सकती जितना कि भारत द्वारा बड़ी सरलता से जल के स्रोत को स्थायी रूप से बंद करके पाकिस्तान को बर्बाद किया जा सकता है - जल के वे स्रोत जो पाकिस्तान के खेतों और लोगों को समृद्ध रखते हैं।"
- भारत को प्राप्त कम प्रतिफल के बावजूद यदि पाकिस्तान सिंधु संधि को संरक्षित रखना चाहता है तो उसे एक संतुलन बनाकर चलना होगा। नदी जल के बड़े हिस्से का उपयोग करने के अधिकार के साथ-साथ पाकिस्तान को यह दायित्व (अंतर्राष्ट्रीय कानून में निहित) भी निभाना होगा कि आतंक का निर्यात करके यह अपने तटवर्ती देश में "प्रत्यक्ष नुकसान" का कारण न बने।

1.4.7. क्या संधि रद्द कर दी जानी चाहिए? (Should the Treaty be Revoked?)

संधि रद्द करने की किसी भी मांग के पीछे अनेक कारकों का होना आवश्यक है:

- **संधि रद्द किए जाने की स्थिति में पाकिस्तानी पक्ष एक और सीमित संघर्ष** आरंभ कर सकता है या फिर कश्मीर में अशांति बढ़ाने का प्रयास कर सकता है।
- **चीन-पाकिस्तान धुरी को देखते हुए यह संभव है कि संधि रद्द किए जाने पर भारत की छवि क्षेत्र के निचले नदी तट पर स्थित देश पर दादागीरी करने वाले देश के रूप में चित्रित करने का प्रयास हो।** इसके अतिरिक्त, **चीन इसका उदाहरण देकर ब्रह्मपुत्र नदी** पर जल साझाकरण समझौते में प्रवेश से इनकार करने के अपने मौजूदा निर्णय को बदलने से इनकार कर सकता है।
- **संधि ने जल विवाद की संभावना पर रोक एवं शांति बहाली को प्रोत्साहित किया है। पांच दशकों से अधिक समय से भारत एवं पाकिस्तान, दोनों सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का जल शांतिपूर्वक साझा कर रहे हैं। इसका श्रेय सिंधु जल संधि को जाता है।** ध्यान देने योग्य है कि विभाजन के बाद से भारत तथा पाकिस्तान, दोनों विभिन्न मुद्दों पर विवाद रहे हैं, परंतु संधि की पुष्टि होने के बाद से नदी जल को लेकर कोई संघर्ष नहीं हुआ है।
- **1965 व 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध, 1999 के कारगिल संघर्ष तथा 1990 से चल रहे कश्मीर अशांति के बावजूद संधि बची हुई है** एवं यह विश्व की सबसे सफल जल संधि मानी जाती है। **प्रतिकूल परिस्थितियों में भी संधि को बनाए रखने को अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा मिली है एवं भारत एक जिम्मेदार देश होने में गर्व अनुभव करता है।**
- रद्द न होने पर, **संधि को अनुच्छेद 12 के मौजूदा प्रावधानों के अंतर्गत संशोधित किया जा सकता है।**

1.4.8. भारत के समक्ष विकल्प (India's Options)

- पूर्व की नदियों के जल का बेहतर उपयोग करना।
- यह सुनिश्चित करना कि आधारभूत संरचना को समयबद्ध तरीके से शीघ्रता से पूरा किया जाए जिससे कि पश्चिमी एवं पूर्वी नदियों दोनों के संबंध में IWT के अंतर्गत किये गए प्रावधानों का पूर्णतया दोहन किया जा सके।
- मौजूदा विवाद समाधान तंत्र का न्यायसंगत उपयोग करना।
- भारत को पाकिस्तान के विरोध के बावजूद अफगानिस्तान के साथ अपना अनुबंध जारी रखने एवं बांध निर्माण में सहायता करना जारी रखना चाहिए।

1.5. सर क्रीक विवाद (Sir Creek Dispute)

- **भारत के** गुजरात **एवं पाकिस्तान के** सिंध प्रांत के **मध्य 96 किलोमीटर लंबे एश्चुयरी से** भारत की सुरक्षा महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होती है, यद्यपि माना जाता रहा है कि इसका समाधान अपेक्षाकृत सरल है।
- **2004 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के नेतृत्व में आरंभ होने वाली भारत-पाकिस्तान समग्र वार्ता के दौरान यह महत्वपूर्ण विषयों में से एक था।**
- **छह बार वार्ताएं हुई हैं, दोनों पक्षों ने क्रीक का संयुक्त सर्वेक्षण किया तथा अपनी संबंधित स्थितियों को दिखाते हुए मानचित्रों का आदान-प्रदान किया।**
- **यह मुद्दा अभी भी अनसुलझा ही है।**

मानचित्र 3.3 सर क्रीक

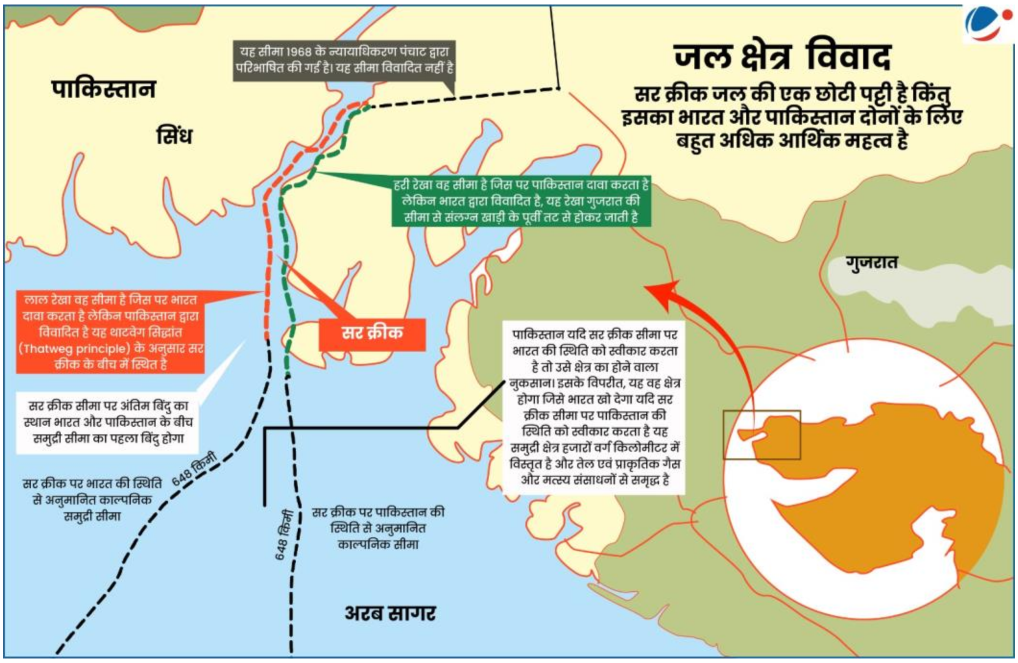

स्रोत :
http://media2.intoday.in/indiatoday/images/stories//2012december/sircreek02_small_121612120133.jpg

1.5.1. भारतीय दावे बनाम पाकिस्तानी दावे (India's Claims v Pakistan's Claims)

- **1914 में बम्बई सरकार के निर्णय के दो विरोधाभासी अनुच्छेदों के प्रावधान** के कारण भारत एवं पाकिस्तान एक ही हिस्से पर अपनी दावेदारी करते हैं।
- **इस निर्णय के अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि कच्छ एवं सिंध के बीच की सीमा 'क्रीक के पूर्व' (हरी रेखा) में है,** जिसका तात्पर्य है कि यह क्रीक सिंध से संबंधित है अतः यह पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में आता है।
- **दूसरी ओर, अनुच्छेद 10 में कहा गया है कि चूंकि सर क्रीक वर्ष भर नौगम्य (जहाजों के चलने योग्य) है, अतः अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं थालवेग सिद्धांत के अनुसार यह सीमा एक नौगम्य चैनल (जलसंधि) के मध्य ही तय की जा सकती है।** इसका अर्थ यह हुआ कि इसे सिंध एवं कच्छ के बीच विभाजित किया गया है अर्थात, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य। यह **भारत के दावे (लाल रेखा) का आधार है, जिसकी 1925 के एक मानचित्र से पुष्टि भी होती है।**

1.5.2. सर क्रीक विवाद का महत्व (The Sir Creek Issue: Significance)

- विगत कुछ वर्षों में, क्रीक के भौतिक स्वरुप में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। यदि कोई देश, किसी अन्य देश की पारंपरिक अवस्थिति से सहमत होता है, तो सहमत होने वाले देश को **एक विस्तृत अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ)** की हानि होगी। दोनों देशों के लिए इस क्रीक पर विवाद में उलझने का एक महत्वपूर्ण कारण **समुद्र के नीचे प्रचुर मात्रा में तेल व गैस का संभावित संकेंद्रण** है जिसके विवादों के कारण जिसका उपयोग वर्तमान में नहीं हो पा रहा है।
- सर क्रीक क्षेत्र, **भारत व पाकिस्तान दोनों देशों के सैकड़ों मछुआरों के लिए मछली पकड़ने का एक बड़ा स्थान भी** है। सर क्रीक को एशिया के सबसे बड़े मत्स्यन क्षेत्रों में से एक माना जाता है।

अत्यधिक लाभ प्राप्त करने की लालसा में, उनकी कई नौकाएं कथित सीमाओं में यहां-वहां भटक जाती हैं और अंततः दूसरी ओर के सीमा रक्षकों द्वारा पकड़ ली जातीं हैं।

- **नवंबर 2008 में मुंबई आतंकवादी हमले के बाद से समुद्री सुरक्षा की चिंताएं भी बढ़ी हैं।** जब लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादी एक पाकिस्तानी नाव में सवार होकर मुंबई के लिए रवाना हुए। ये सर क्रीक से दूर मछली पकड़ने के लिए उपयोग होने वाले एक भारतीय जहाज, कुबेर, पर कब्जा कर लिया तथा मुंबई पर हमला करने के लिए इसका उपयोग किया।
- **नशीली दवाओं का व्यापार**: सर क्रीक के विवादित समुद्री क्षेत्र में टेलीफोन वार्तालापों की जांच करने वाले अधिकारियों का कहना है कि इस क्षेत्र में नशीली दवाओं के उत्पादक-संघों के सक्रिय होने का संकेत मिलता है, तथा परिमाण व आवृत्ति दर्शाती है कि यह क्षेत्र, विश्व के सबसे सक्रिय व्यापार केंद्रों में से एक हो सकता है।

मानचित्र 3.4 सियाचिन हिमनद

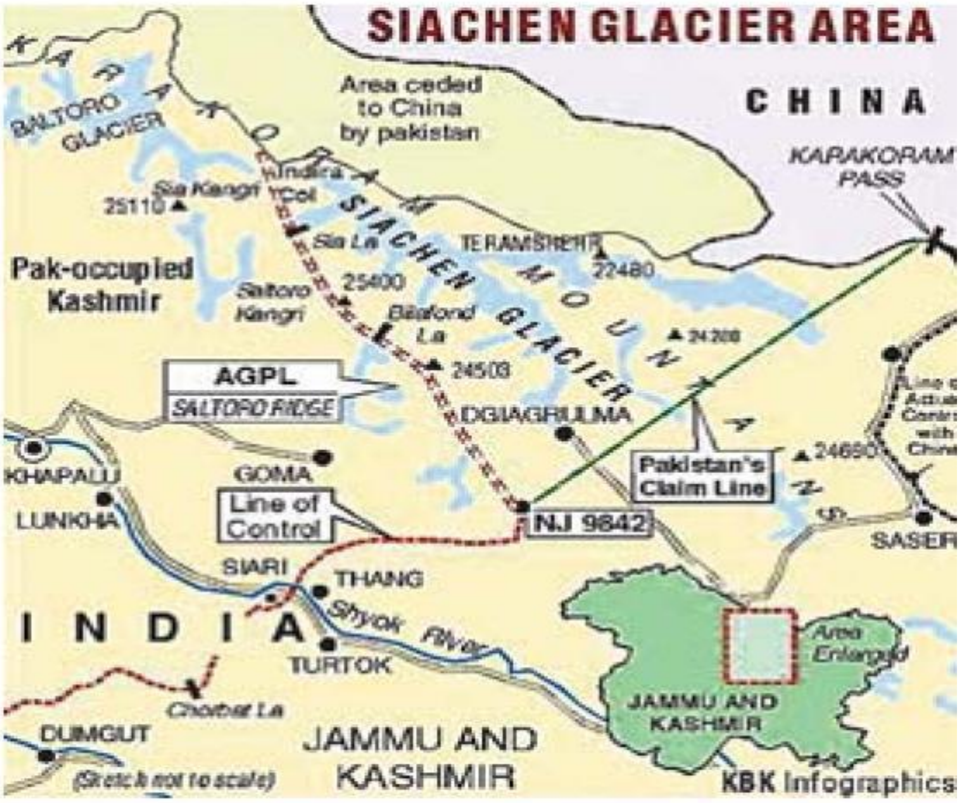

स्रोत: http://img01.ibnlive.in/ibnlive/uploads/875x584/jpg/2016/03/siachen-map.jpg

1.6. सियाचिन (Siachen)

- **सियाचिन विवाद, जुलाई 1949 के कराची युद्धविराम समझौते में विद्यमान अस्पष्टता का प्रत्यक्ष परिणाम है।** 1947-1948 के युद्ध के अंत में, दोनों सेनाओं की अवस्थिति को दर्शाते हुए युद्धविराम रेखा की स्थापना करने वाले समझौते ने **ग्रिड NJ 9842 से परे क्षेत्र का वर्णन नहीं किया**, जो सियाचिन हिमनद के दक्षिण में पड़ता है।
- **1972 के शिमला समझौते ने इस स्थान के बाद "हिमनदों के उत्तर" तक सीमाओं का विस्तार करने का उल्लेख किया।**
- **1984 में, पाकिस्तान की ऑरोपॉलिटिक्स (पर्वतीय-राजनीति) की प्रतिक्रिया में, भारत ने अपनी भू-स्थिति को प्रमाणित किया तथा ऑपरेशन मेघदूत के माध्यम से ग्लेशियर पर अपना नियंत्रण स्थापित किया।**
- **अपनी-अपनी अवस्थितियों को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य मतभेद**, उन प्रमुख कारणों में से एक है **जिसके चलते सियाचिन हिमनद तथा आसपास के क्षेत्रों के विसैन्यीकरण पर हुई वार्ताओं में अधिक प्रगति नहीं हुई।**

1.6.1. भारत बनाम पाकिस्तान: दावे (India v Pakistan Claims)

- **भारतीय तथा पाकिस्तानी पक्षों ने "हिमनदों के उत्तर" वाक्यांश का अर्थ भिन्न-भिन्न निकाला है।** पाकिस्तान का तर्क है कि इसका अर्थ है कि रेखा को NJ 9842 से सीधे चीन-भारत सीमा पर काराकोरम दर्रे तक जाना चाहिए। हालांकि, भारत दृढ़ता से कहता है कि रेखा को NJ 9842 से उत्तर की ओर साल्टोरो रेंज के साथ-साथ चीनी सीमा तक आगे बढ़ना चाहिए। इन दो व्याख्याओं के मध्य एक विस्तृत हिमाच्छादित क्षेत्र पड़ता है जिस पर दोनों पक्ष अपना नियंत्रण चाहते हैं।
- **इन विरोधाभासी व्याख्याओं ने विवाद के अंतिम समाधान को कठिन बना दिया है। यद्यपि, इस क्षेत्र की कठोर जलवायु के कारण भारत व पाकिस्तान दोनों देशों के सैनिकों की नियमित रूप से होने वाली मौतों को देखते हुए इन क्षेत्रों का पारस्परिक रूप से विसैन्यीकरण करना संभव है।** हालांकि, पारस्परिक अविश्वास के चलते पूर्व में की गई विसैन्यीकरण वार्ताएं सफल नहीं हो सकीं।

1.6.2. आगे की राह पर भारत की अवस्थिति (India's Position on the Way Forward)

- **भारत का कहना है कि किसी भी विसैन्यीकरण से पूर्व, साल्टोरो रिज पर वर्तमान भू-स्थितियों को मानचित्र पर सीमांकित तथा प्रमाणित किया जाना चाहिए।** भारत को इस बात का डर है कि भारत के इस क्षेत्र से हटने पर पाकिस्तानी सेना इस उच्च भूमि पर कब्जा कर सकती है क्योंकि जब भारतीय सेना ने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत द्वारा इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था उस समय पाकिस्तानी सेना यहां से केवल कुछ हफ़्तों की दूरी पर थी।
- **इसलिए भारत ने दृढ़तापूर्वक कहा है कि सर्वप्रथम भूमि के साथ-साथ मानचित्र पर वास्तविक भू-स्थिति रेखा (एक्चुअल ग्राउंड पोजिशन लाइन-AGPL) का संयुक्त सीमांकन होना चाहिए तत्पश्चात ही संयुक्त सत्यापन समझौता तथा** परस्पर सहमत अवस्थितियों पर बलों **पुनर्नियोजन होना चाहिए।**

1.7. चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर {(CPEC: The China-Pakistan Economic Corridor (CPEC)}

मानचित्र 3.5 चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा

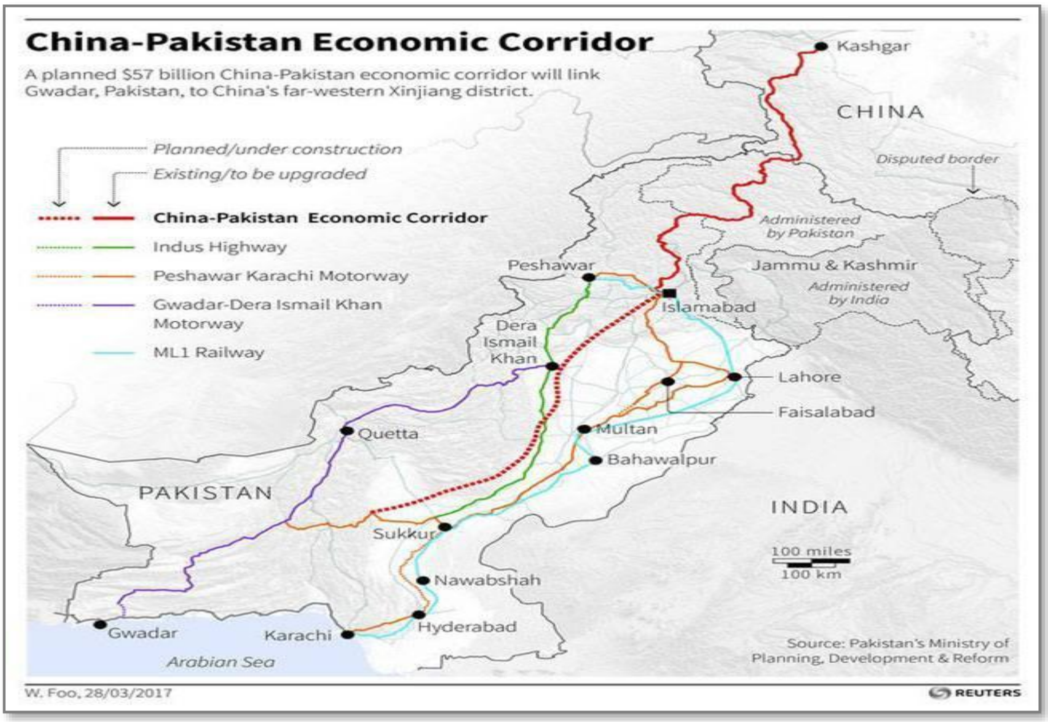

स्रोत : http://media2.intoday.in/indiatoday/images/stories//2017May/cpec-mos_051317113948.jpg

- **चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC), चीन की वृहत OBOR अथवा बेल्ट एंड रोड (BRI) परियोजना का हिस्सा है।**
- इसका लक्ष्य **चीन के झिंजियांग प्रांत में कासगर को, पाकिस्तान के बलुचिस्तान प्रांत में ग्वादर पत्तन से जोड़ना** है। इसमें **राजमार्गों, रेलमार्गों, जलमार्गों तथा पाइपलाइनों सहित कई अवसंरचना परियोजनाएं** सम्मिलित हैं। परियोजना का **निवेश अनुमान 40 अरब से 60 अरब अमेरिकी डॉलर तक** है।
- महत्वाकांक्षी चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर (CPEC) का एक अंतिम बिंदु **ग्वादर पत्तन** पांच वर्षों के भीतर प्रतिवर्ष 13 मिलियन टन नौभार का प्रबंधन करने में सक्षम होगा तथा वर्ष 2030 तक प्रतिवर्ष 400 मिलियन टन नौभार स्थलरुद्ध मध्य एशिया तथा पश्चिमी चीन तक पहुंचाने में सक्षम होगा।
- **ग्वादर पत्तन के विकास से परियोजना का रणनीतिक महत्व भी बढ़ जाता है क्योंकि इससे चीन को हिंद महासागर में उपस्थिति प्राप्त होती है।**
- **भारत के विरोध का प्रमुख विषय परियोजना का मार्ग है जो भारत के संप्रभु दावों का उल्लंघन करते हुए जम्मू-कश्मीर के गिलगिट-बाल्टिस्तान क्षेत्र से गुजरता है।**

ऑल इंडिया मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज़
देश के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम के इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम का लाभ उठाएं
ENGLISH MEDIUM 2025: 22 SEPTEMBER
हिन्दी माध्यम 2025: 22 सितंबर

1.8. कुलभूषण जाधव विवाद (The Kulbhushan Jadhav Issue)

- **पाकिस्तान ने 3 मार्च, 2016 को बलूचिस्तान से जाधव को गिरफ्तार करने का दावा किया। भारत का कहना है कि जाधव को ईरान से अपहरण कर लिया गया था, जहां वे 2002 में भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त होने के पश्चात् व्यावसायिक गतिविधियों में सम्मिलित थे।**
- **अप्रैल 2017 में पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान ने घोषणा की कि जाधव को फांसी दी जाएगी।**
- **कुछ ही समय पश्चात् भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में अपील की। उल्लेखनीय है कि भारत को जाधव के लिए कांसुलर सहायता से वंचित कर दिया गया था।** भारत ने पाकिस्तान पर वियना सम्मेलन का उल्लंघन करने का आरोप लगाया।
- पाकिस्तान ने तर्क दिया कि राजनियक पहुंच पर वियना सम्मेलन के प्रावधान विध्वंसक गतिविधियों में संलिप्त किसी "जासूस" के लिए नहीं हैं।
- **भारत का मानना है कि ICJ, जाधव मामले की जांच कर सकता है क्योंकि दोनों देशों ने दूतीय संबंधों पर वियना सम्मेलन (VCCR) के वैकल्पिक संलेखों पर हस्ताक्षर किये हुए हैं।** संलेख का कहना है कि VCCR के प्रस्तुतिकरण या अनुप्रयोग से उत्पन्न कोई भी विवाद ICJ के अधिकार क्षेत्र में होगा।
- **18 मई, 2017 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तानी सैन्य न्यायालय द्वारा कुलभूषण जाधव को दी गई मौत की सजा को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया।**
  - **1971 के पश्चात् यह पहली बार हुआ कि भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध किसी विवाद में ICJ की ओर रुख किया है।**
  - **भारत ने 1959 में की गई इसी तरह की घोषणा को प्रतिस्थापित करते हुए सितंबर 1974 में उन सभी मामलों की व्याख्या की जिन पर भारत ICJ के अधिकार-क्षेत्र को स्वीकार करेगा।**
  - जिन मामलों पर **भारत, ICJ के अधिकार-क्षेत्र को स्वीकार नहीं करता** है वे हैं: **"किसी भी ऐसे देश के साथ विवाद जो राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं या रह चुके हैं"।**
- **ICJ ने अपने 2019 के निर्णय में कहा था कि पाकिस्तान ने श्री जाधव को काउंसलर पहुंच न देकर VCCR के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन किया है। इसने पाकिस्तान को जल्द से जल्द काउंसलर पहुंच प्रदान करने के साथ-साथ श्री जाधव के मामले की प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार करने का निर्देश दिया।**
- **मई 2020 में, पाकिस्तान ने एक अध्यादेश पारित किया, जो प्रत्यक्ष रूप से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए था। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय उच्चायोग के काउंसलर अधिकारी द्वारा संबंधित समीक्षा और पुनर्विचार के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने के प्रावधान किये गए थे।**
- **श्री जाधव पाकिस्तान की हिरासत में हैं और उनका मामला इस्लामाबाद के न्यायालय में लंबित है।**

1.9. व्यापार (Trade)

- विभाजन के पश्चात, एक लंबी अवधि के लिए व्यापार संबंध जीवंत रहे। पाकिस्तान के पूर्व वाणिज्य सचिव ज़फर महमूद के अनुसार, **1948-49 में, पाकिस्तान के कुल निर्यात का लगभग 56% हिस्सा भारत को जाता था तथा कुल आयात का 32% हिस्सा भारत से आता था।** वास्तव में, 1948 की शत्रुता के बावजूद, भारत 1955-56 तक पाकिस्तान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना रहा।
- **1965 व 1971 के युद्धों के कारण, व्यापारिक संबंधों में काफी गिरावट आ गई थी** जो 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर के पश्चात् सीमित स्तर तक फिर से प्रारंभ हुए।

- भारत ने 1966 में पाकिस्तान को एकपक्षीय *मोस्ट फेवर्ड नेशन* (MFN) का दर्जा प्रदान किया।
- **वर्ष 2019 में पकिस्तान के प्रति कठोर कार्रवाई प्रदर्शित करने के लिए भारत पाकिस्तान से MFN दर्जा वापस ले लिया है जोकि सांकेतिक परंतु एक महत्वपूर्ण कदम है।**
- **परंतु इसका कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि** दोनों देशों के मध्य व्यापार की मात्रा इतनी कम है कि प्रतिबंधों से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- गत वित्तीय वर्ष के आंकड़ों के अनुसार, जहां **भारत से पाकिस्तान को किया जाने वाला निर्यात वर्ष 2007-08 के 0.78% से मामूली रूप से बढ़कर 2015-16 में 0.88% हो गया** वहीँ पाकिस्तान से भारत को होने वाला आयात, कुल निर्यात के 0.12% के साथ नगण्य रहा।
- **दक्षिण एशिया से पाकिस्तान का कुल आयात 4 प्रतिशत से भी कम है। 2019 में पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को निलंबित कर दिया।**

1.10. दर्शन एवं वास्तविकता (Vision and Reality)

- जैसा कि जनवरी 2007 में **प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी** ने कहा, कि वह एक ऐसे दिन का स्वप्न देखते हैं कि "**अपनी संबंधित राष्ट्रीय पहचानों को बनाए रखते हुए, हममें से कोई भी व्यक्ति अमृतसर में सुबह का जलपान, लाहौर में दिन का भोजन और काबुल में रात्रि भोजन कर सके।** मेरे पूर्वज इसी प्रकार जिया करते थे। मेरे नाती-पोते इसी प्रकार जिएं यही मैं चाहता हूं।"
- टीसीए राघवन के अनुसार: वर्ष 2008 से आज तक "ऐसा बहुत कुछ बदल गया है जिससे यह सुनिश्चित हो गया है कि पुराने समाधान तब तक कार्य नहीं करेंगे।" फिर भी **मेल-मिलाप की गतिविधियों एवं युद्धकारी गतिरोध की चक्रीय प्रक्रिया जारी रहेगी।**

2. भारत और अफगानिस्तान (India and Afghanistan)

मानचित्र 3.6 अफ़गानिस्तान

2.1. मुख्य विशेषताएं (Key Highlights)

- **अफगानिस्तान दक्षिण-मध्य एशिया के मध्य में स्थित एक बहुजातीय भूआबद्ध देश है। प्राचीन काल से ही इसका स्थान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रहा है।**
- **अफगानिस्तान और भारत के लोगों के मध्य सिंधु घाटी सभ्यता के समय से संबंध हैं।**
- **अफगानिस्तान की आधुनिक सीमाएं 19वीं सदी के अंत में शाही ब्रिटेन और ज़ारशाही रूस (Tsarist Russia) के बीच प्रतिद्वंद्विता के संदर्भ में स्थापित की गईं, जिसे रुडयार्ड किपलिंग ने "ग्रेट गेम" कहा था।**
    - **डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित 2,430 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है।** सर मोर्टिमर डूरंड ने यह रेखा **1893 में अफगानिस्तान और तत्कालीन ब्रिटिश भारत के बीच निर्धारित की थी। भारत विभाजन के पश्चात से यही रेखा पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के मध्य की सीमा रेखा हो गयी।**
    - डूरंड रेखा पश्तून जनजाति क्षेत्र को काटते हुए दक्षिण में बलूचिस्तान क्षेत्र से होकर गुजरती है। यह नृजातीय पश्तूनों एवं बलूच और अन्य नृजातीय समूहों को राजनीतिक रूप से विभाजित करती है, जो अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान में सीमा के दोनों ओर निवास करते हैं।
- **1919 में तीसरे एंग्लो-अफगान युद्ध के बाद** अफगानिस्तान ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की।
- **भारत और अफगानिस्तान ने 1950 में मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए।**
- **सोवियत हस्तक्षेप (1979-89)** के दौरान, **अफगानिस्तान के सोवियत समर्थित लोकतांत्रिक गणराज्य को मान्यता प्रदान करने वाला एकमात्र दक्षिण-एशियाई देश भारत था।** भारत ने **तत्कालीन अफगान राष्ट्रपति नजीबुल्लाह की सरकार को भी मानवीय सहायता** प्रदान की। सोवियत बलों के चले जाने के बाद भारत ने मानवीय सहायता प्रदान करना जारी रखा।
- **1990 के दशक में भारत तालिबान-विरोधी उत्तरी गठबंधन के प्रमुख समर्थकों में से एक बन गया।**
- **1996 से 2001 तक अफ़ग़ानिस्तान अफ़ग़ान तालिबान के शासन में रहा।**
- **अक्टूबर 2001 में अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध अपने वैश्विक युद्ध के तहत तालिबान के विरुद्ध एक आक्रामक अभियान प्रारंभ किया।** अंततः तालिबान को सत्ता से हटा दिया गया और एक नया संविधान तथा राज्य के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई।
    - **अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल (International Security Assistance Force:ISAF) 2001 से 2014** तक अफ़ग़ानिस्तान में एक बहुराष्ट्रीय सैन्य मिशन (अमेरिका और उसके सहयोगियों से सैन्य योगदान के साथ) था। इसे बॉन समझौते के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1386 द्वारा स्थापित किया गया था, जिसमें अक्टूबर 2001 में अमेरिकी आक्रमण के बाद एक स्थायी अफ़ग़ान सरकार की स्थापना की रूपरेखा थी।
    - तालिबान के पतन के पश्चात **लोया जिरगा** ने अफ़ग़ान राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। **2002 में एक संक्रमणकालीन सरकार के गठन के लिए और 2003 में एक नए संविधान की पुष्टि करने के लिए इसकी बैठक बुलाई गई थी।**
- **भारत और अफगानिस्तान ने 2003 में एक अधिमान्य व्यापार समझौता (Preferential Trade Agreement: PTA) पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य आपसी व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाने की राह में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करना था।**

- **2005 में, भारत ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) में अफगानिस्तान की सदस्यता का प्रस्ताव रखा। अफगानिस्तान 2007 में SAARC में शामिल हो गया।**
- **दोनों देशों ने इस्लामी आतंकवादियों के विरुद्ध रणनीतिक और सैन्य सहयोग भी विकसित किया।**
- **2011 में दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित रणनीतिक साझेदारी समझौते से** भारत-अफगानिस्तान के बीच संबंध मजबूत हुए।
- अंतर्राष्ट्रीय बलों की वापसी के मद्देनजर **2014-2015 में अफगानिस्तान में एक साथ राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक बदलाव हुए।**
- **भारत ने अफगानिस्तान की सुरक्षा और विकास के लिए दीर्घकालिक प्रतिबद्धता जताकर अपने भविष्य को लेकर अपनी आशंकाओं को दूर कर लिया था।**
- सरकारों के स्तर पर **राजनीतिक और कूटनीतिक जुड़ाव** संबंधों का प्रमुख पहलू था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2005 में अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करज़ई से मुलाकात की, राष्ट्रपति अशरफ़ गनी अप्रैल 2015 और अक्टूबर 2017 में अपनी पहली राजकीय यात्रा पर भारत आए। प्रधानमंत्री मोदी ने दिसंबर 2016 में अफ़गानिस्तान की यात्रा की थी।
- **2021 में अमेरिकी सशस्त्र बल अफ़गानिस्तान से बाहर निकल गए हैं तथा** यह 2020 में USA और अफ़गान तालिबान के बीच हुए एक समझौते का परिणाम था।
- इसके बाद, **निर्वाचित अफ़गान सरकार गिर गई और तालिबान ने अगस्त 2021 में सत्ता पर कब्ज़ा कर लिया।**
- हालांकि **भारत ने नई सरकार को मान्यता नहीं दी,** लेकिन वह 2021 के बाद भी **अफ़गान के लोगों को मानवीय सहायता** प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध रहा, जैसे कि भोजन और चिकित्सा आपूर्ति।

2.2. 2001 से 2021 तक अफ़गानिस्तान में भारत के दृष्टिकोण और भूमिका की समझ : रणनीतिक साझेदारी समझौता {Understanding India's approach and role in Afghanistan from 2001 to 2021: Strategic Partnership Agreement (SPA)}

- **भारत और अफगानिस्तान के बीच 2011 में हुए रणनीतिक साझेदारी अनुबंध (SPA) में निम्नलिखित प्रावधान किये गए :**
    - विभिन्न क्षेत्रों में स्वदेशी अफगान क्षमता का पुनर्निर्माण करने के लिए **अफगानिस्तान की अवसंरचना एवं संस्थानों के पुनर्निर्माण करना** तथा शिक्षा एवं तकनीकी सहायता करना।
    - **अफगानिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों में निवेश को प्रोत्साहन प्रदान करना तथा अफगानिस्तान के निर्यातों को भारतीय बाजार तक शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करना।**
    - **अफगानिस्तान के नेतृत्व और स्वामित्व वाली व्यापक आधारीय एवं सर्व-समावेशी शांति एवं सुलह प्रक्रिया को समर्थन,**
    - **अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा अफगानिस्तान के लिए अनवरत एवं दीर्घावधिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता का समर्थन करना।**
- **इस प्रकार, भारत का दृष्टिकोण इन प्रतिबद्धताओं द्वारा परिभाषित था और अफगानिस्तान में इसकी भूमिका मुख्य रूप से युद्धोत्तर पुनर्निर्माण और विकास की प्रक्रिया में अफगान सरकार और लोगों को सहायता प्रदान करने पर केंद्रित थी।**

2.3. 'हार्ट ऑफ़ एशिया' प्रक्रिया (Heart of Asia Process)

- **'हार्ट ऑफ़ एशिया' प्रक्रिया या इस्तांबुल प्रक्रिया वर्ष 2011 में अफगानिस्तान को अधिकाधिक सहायता प्रदान करने के लिए आरंभ की गई।** इस प्रक्रिया के **तीन मुख्य स्तंभ** इस प्रकार हैं:
    - **राजनीतिक परामर्श**
    - **विश्वास निर्माण करने के उपाय (CBMs)**
    - **क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग**
- इस प्लेटफॉर्म की स्थापना अफ़गानिस्तान एवं इसके पड़ोसियों तथा क्षेत्रीय भागीदारों की साझा चुनौतियों एवं हितों को संबोधित करने के लिए की गई थी। हार्ट ऑफ़ एशिया में 14 भागीदार देश, 17 समर्थक देश एवं 12 समर्थक क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन सम्मिलित हैं।
- 'हार्ट ऑफ़ एशिया' एशिया के हृदय क्षेत्र की समृद्धि के लिए सुरक्षित और स्थिर अफगानिस्तान को महत्वपूर्ण मानने के तथ्य को मान्यता प्रदान करते हुए, **अफगानिस्तान को अपने केंद्र में रखकर परिणाम उन्मुख क्षेत्रीय सहयोग के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है।**
- **भारत 'हार्ट ऑफ़ एशिया' प्रक्रिया के तहत व्यापार, वाणिज्य एवं निवेश हेतु विश्वास बहाली उपायों (CBMs) का अग्रणी देश है,**
- **भारत ने दिल्ली में जनवरी 2014 में 'हार्ट ऑफ़ एशिया' देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी की और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) की सहायता से** भारत ने नई दिल्ली में नवंबर 2015 को 6वें क्षेत्रीय तकनीकी समूह (RTG) की मेजबानी की।
- **भारत ने दिसंबर 2016 में अमृतसर में 'हार्ट ऑफ़ एशिया' के 6वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी की।** इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी एवं अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ घनी द्वारा संयुक्त रुप से किया गया था।

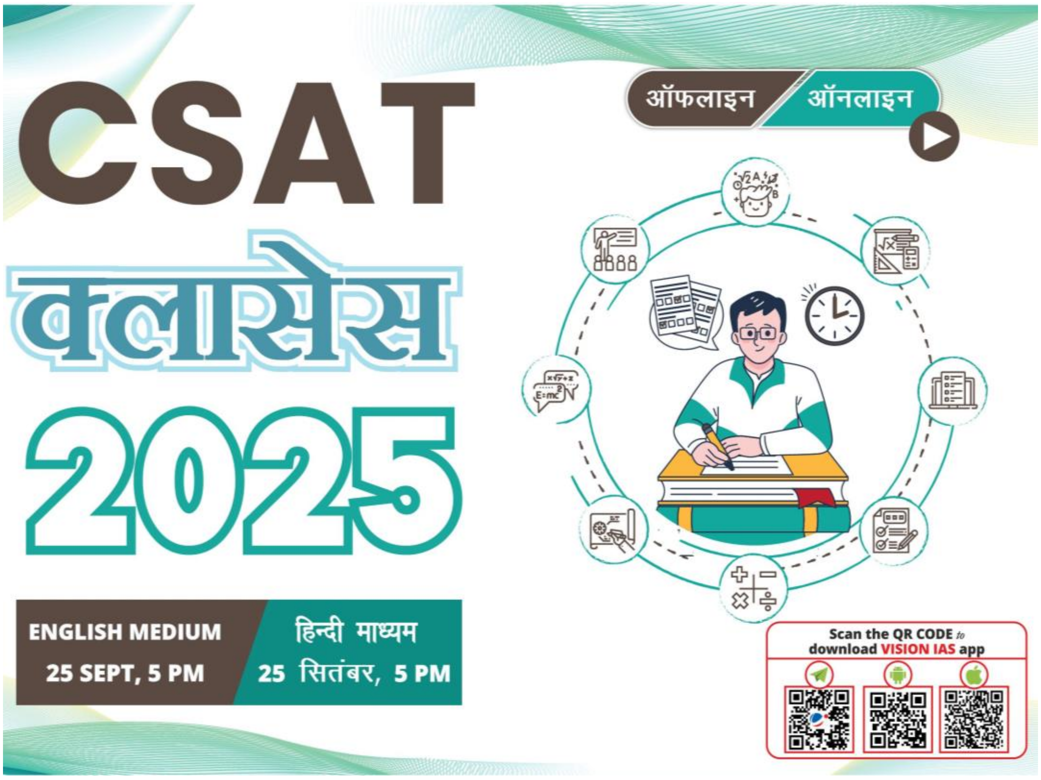

2.4. पुनर्निर्माण के प्रयासों में भारत का योगदान (India's Contribution in Reconstruction Efforts)

- **अफगानिस्तान की विकास परियोजनाओं में भारत ने 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का योगदान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।**
- **इसने निम्नलिखित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का वित्तपोषण एवं निर्माण किया है:**
  - जारंज-डेलाराम राजमार्ग,
  - संसद भवन,
  - भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध / सलमा बांध, चिश्त-ए-शरीफ़ नदी, हेरात प्रांत
  - काबुल के लिए ट्रांसमिशन लाइनें।
- यद्यपि भारत ने अफ़ग़ानिस्तान में **अपनी सैन्य उपस्थिति को अभी तक टाला है, लेकिन भारत अफगानिस्तान में विदेशी सैन्य उपस्थिति को इस देश की राजनीतिक स्थिरता एवं विकास में सहायता के लिए अपरिहार्य समझता है।** संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी भारत से और अधिक संलग्नता का आग्रह किया है।
- भारत ने 2015 और 2016 में अफगानिस्तान को तीन रूस निर्मित MI-25 हमलावर हेलीकॉप्टर सौंपे थे।
- इस अवधि में भारत ने अफगानिस्तान के लिए निवेश और टिकाऊ रणनीति जारी रखी।

2.4.1. कनेक्टिविटी की चुनौतियां (Challenges of Connectivity)

- **पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान पर भारतीय प्रभाव में किसी भी वृद्धि का विरोध करता रहा है** और अफगानिस्तान को अपनी रणनीति के लिए महत्वपूर्ण मानता है।
- अफगानिस्तान तक **सीधी स्थलीय पहुंच हेतु भारत की ओर से निवेदन किए जाने** के बाद भी, **पाकिस्तान ने अपनी सामरिक चिंताओं के बहाने भारत को इस प्रकार की सुविधा देने से मना कर दिया है।**
- **अफ़ग़ानिस्तान तक पहुंच स्थापित करने के लिए भारत द्वारा उपयोग किए जा सकने वाले वैकल्पिक मार्ग:** सीधी स्थलीय पहुंच के अभाव में **भारत, अफगानिस्तान और ईरान के साथ त्रिपक्षीय मार्ग बनाने पर भी कार्य कर रहा है। चाबहार पत्तन के विकास** से अफ़ग़ानिस्तान और उससे आगे के हमारे संपर्कों का संवर्धन होगा।
- **भारत ने अक्टूबर 2017 में** ईरानी पत्तन चाहबहार के माध्यम से **अफगानिस्तान को गेहूं की आपूर्ति आरंभ की।**
- **भारत और अफगानिस्तान ने दो हवाई गलियारों की भी स्थापना की है –**
  - पहला, दिल्ली और काबुल के मध्य और
  - दूसरा कंधार से दिल्ली के मध्य - इसका उद्देश्य सब्सिडी दरों पर माल का परिवहन करना है।

मानचित्र 3.7 अफ़गानिस्तान से संपर्क स्थापित करना

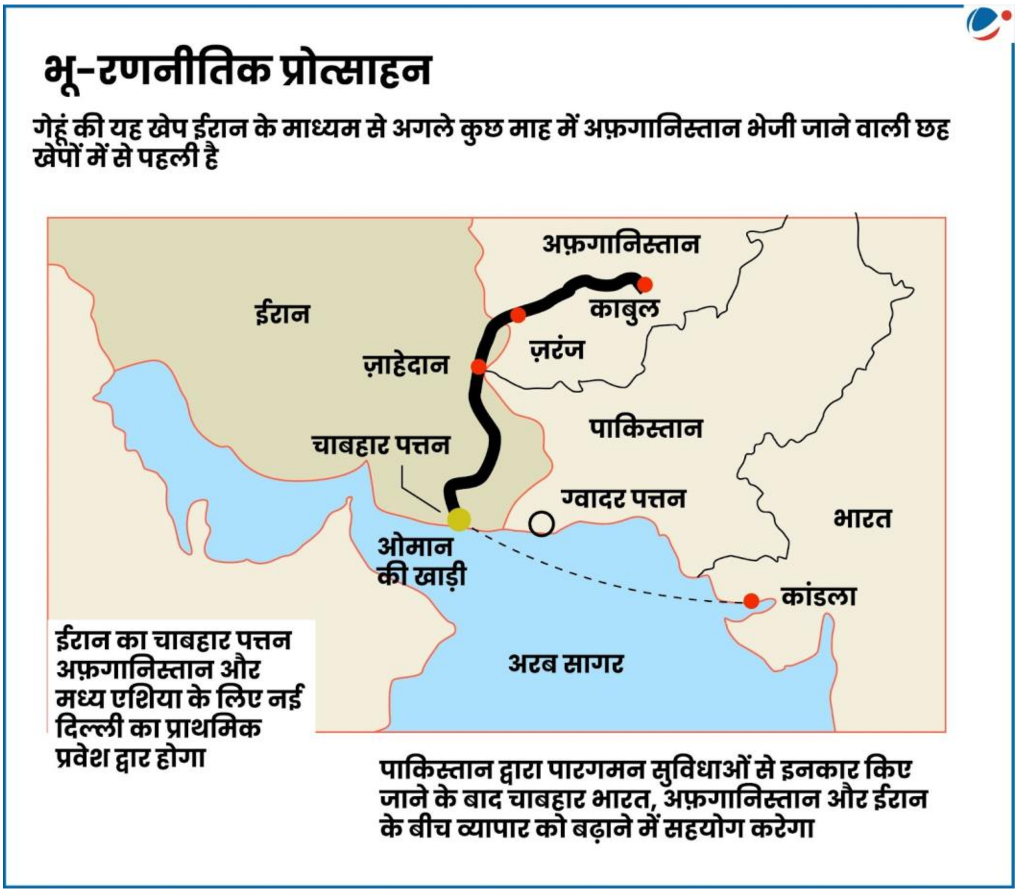

स्रोत : http://www.thehindu.com/news/national/article19945496.ece/alternates/FREE_660/Geo-strategiccol

2.5 अफगानिस्तान में परिवर्तन: अमेरिका-तालिबान समझौता, अमेरिकी सेना की वापसी और तालिबान का सत्ता पर कब्जा (Changes in Afghanistan: US-Taliban agreement, Withdrawal of American forces and Taliban's capture of power)

- **2018-19 में जब ट्रंप प्रशासन के तहत अमेरिका ने तालिबान के साथ बातचीत प्रारंभ की, तब भी भारत तालिबान के साथ सुलह के किसी भी प्रयास से सतर्क रहा।** समय के साथ भारत ने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया कि अमेरिका सहित अन्य देश भी वार्ता में तालिबान को शामिल करना चाहते थे, हालांकि भारत की स्थिति में हिंसा का त्याग करने वाले तालिबान भी शामिल हैं।
- **भारत ने कहा कि सुलह की कोई भी प्रक्रिया अफ़ग़ान नेतृत्व वाली, अफ़ग़ान स्वामित्व वाली, अफ़ग़ान नियंत्रित, पारदर्शी और समावेशी होनी चाहिए।** इस प्रकार, भारत अफ़ग़ान सरकार की क्षमता निर्माण पर बहुत बल देता है।
- **जुलाई 2019 में भारत ने शांति और सुलह प्रक्रिया पर अपने विचार व्यक्त किए।** भारत के लिए
  - सभी पहलों और प्रक्रियाओं में अफ़ग़ान समाज के सभी वर्गों को शामिल किया जाना चाहिए, जिसमें वैध रूप से चुनी गई सरकार भी शामिल है।

- किसी भी प्रक्रिया में संवैधानिक विरासत और राजनीतिक जनादेश का सम्मान होना चाहिए।
- किसी भी प्रक्रिया से ऐसी कोई अनियंत्रित जगह नहीं बननी चाहिए जहां आतंकवादी और उनके समर्थक शरण ले सकें।

- जब फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, **तो भारत ने कहा कि "भारत की सतत नीति निम्नलिखित अवसरों का समर्थन करना है**
  - **जो अफ़गानिस्तान में शांति, सुरक्षा और स्थिरता ला सकते हैं;**
  - **हिंसा को समाप्त कर सकते हैं;**
  - **अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंध विच्छेद कर सकते हैं; और**
  - **अफ़गान की नेतृत्व वाली, अफ़गान स्वामित्व वाली और अफ़गान नियंत्रित प्रक्रिया के माध्यम से एक स्थायी राजनीतिक समाधान की ओर ले जा सकते हैं"।**
- **15 अगस्त, 2021 को** जब अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान से बाहर निकल गए, **तब तालिबान ने राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया और अशरफ गनी के नेतृत्व वाली नागरिक सरकार को हटा दिया।**
- **तालिबान ने अफ़गानिस्तान के इस्लामिक अमीरात (Islamic Emirate of Afghanistan)** के नाम से **एक सरकार का गठन किया।**
- इस बदले हुए परिदृश्य में भारत ने **अपने राजनयिक मिशन और नागरिकों को अफ़गानिस्तान से निकालने को प्राथमिकता दी,** यह **ऑपरेशन देवी शक्ति (16-21 अगस्त) के तहत किया गया।**
- 30 अगस्त, 2021 को, भारत की अध्यक्षता में, **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC**) ने **संकल्प 2593 को अपनाया।**
  - 30 अगस्त, 2021 को अपनाया गया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) संकल्प 2593 मुख्य रूप से तालिबान के अधिग्रहण के बाद अफ़गानिस्तान की स्थिति को संबोधित करता है। संकल्प के मुख्य बिंदु हैं:
    - ✓ **आतंकवाद को रोकना:**
      - संकल्प इस बात पर बल देता है कि **अफ़गान क्षेत्र का इस्तेमाल किसी भी देश को धमकाने या हमला करने या आतंकवादियों** को पनाह देने या प्रशिक्षित करने या आतंकवादी कृत्यों की योजना बनाने या उन्हें वित्तपोषित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
    - ✓ **मानवीय पहुंच:**
      - यह ज़रूरतमंदों तक सहायता पहुंचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र और अन्य मानवीय एजेंसियों के लिए सुरक्षित, संरक्षित और निर्बाध पहुंच का आह्वान करता है।
      - संकल्प महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों सहित कमज़ोर आबादी की सहायता करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
    - ✓ **मानवाधिकार:**
      - संकल्प में महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों सहित मानवाधिकारों को बनाए रखने के महत्व पर बल दिया गया है।
      - संकल्प में महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों की पूर्ण, समान और सार्थक भागीदारी के साथ समावेशी, राजनीतिक समझौते से समाधान की मांग की गई है।

- ✓ **सुरक्षित निकासी:**
  - संकल्प सभी पक्षों से देश छोड़ने की इच्छा रखने वाले सभी अफगानियों और विदेशी नागरिकों के सुरक्षित, संरक्षित और व्यवस्थित प्रस्थान की अनुमति देने का आग्रह करता है।
  - यह निकासी के लिए विमान पत्तनों की सुरक्षा और परिचालन सुविधाओं को बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करता है।
- ✓ **हमलों की निंदा:**
  - संकल्प में 26 अगस्त, 2021 को काबुल विमान पत्तन के पास हुए हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की गई है और उतरदायी लोगों की जवाबदेही की मांग की गई है।
- ✓ **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:**
  - यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मानवीय सहायता के प्रावधान के माध्यम से अफ़गानिस्तान का समर्थन करने और क्षेत्र में स्थिरता में योगदान देने का आह्वान करता है।

UNSC संकल्प 2593 आतंकवाद, मानवीय संकटों, मानवाधिकारों और अफ़गानिस्तान से व्यक्तियों की सुरक्षित निकासी के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंताओं को दर्शाता है, इन महत्वपूर्ण मुद्दों को समाधान करने के लिए सहयोग का आग्रह करता है।

- **15 दिसंबर, 2023 को संसद में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने** बदले हुए परिदृश्य में भारत की स्थिति को **स्पष्ट किया:**
  - **अफगानिस्तान के प्रति भारत का दृष्टिकोण दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों, अफगानिस्तानी लोगों के साथ मित्रता और UNSCR 2593 सहित प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों द्वारा निर्देशित है।** काबुल स्थित दूतावास में कार्यरत भारतीय तालिबान के कब्जे के बाद भारत लौट आए। **जून 2022 से, एक भारतीय तकनीकी टीम दूतावास में तैनात है तथा मानवीय सहायता और अन्य स्थितियों के संबंध में सक्रिय है।** अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात (Islamic Emirate of Afghanistan) की मान्यता के संबंध में भारत का रुख अंतरराष्ट्रीय समुदाय के अनुरूप है।
  - अफगानिस्तान में बिगड़ती स्थिति को ध्यान में रखते हुए, **भारत ने मानवीय सहायता की आपूर्ति करके अफगान के लोगों की सहायता करने का निर्णय लिया।** इस प्रयास में, हमने **मानवीय सहायता की कई खेपें भेजी हैं जिनमें 50,000 मीट्रिक टन गेहूं, 250 टन चिकित्सा सहायता और 28 टन भूकंप राहत सहायता शामिल है।** ये खेप **संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (UNWFP), मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNOCHA), इंदिरा गांधी बाल स्वास्थ्य संस्थान (IGICH) और अफगान रेड क्रिसेंट सोसाइटी (ARCs) को सौंपी गई थी।**
  - भारत ने **अफगानिस्तान में नशीली दवाओं के उपयोगकर्ता आबादी, विशेष रूप से महिलाओं के कल्याण के लिए सहायता प्रदान करने के लिए अफगानिस्तान में यूनाइटेड नेशन्स ऑफिस ऑफ़ ड्रग्स एंड क्राइम (UNODC) के साथ भी भागीदारी की है।** इस साझेदारी के तहत, भारत ने 2022 से UNODC, काबुल को स्वच्छता किट, शिशु आहार, कंबल, कपड़े, चिकित्सा सहायता और अन्य विविध वस्तुओं की 11,000 इकाइयों की आपूर्ति की है।
  - **शिक्षा के क्षेत्र में, भारत ने अफगान छात्रों के लिए अपनी भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) छात्रवृत्ति योजना जारी रखी है।** अगस्त 2021 से, ICCR ने 600 अफगान लड़कियों सहित 3000 से अधिक छात्रों को प्रवेश दिया है। अफगानिस्तान में रहने वाले

©Vision IAS

छात्रों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए, ICCR ने **ई-विद्या भारती पोर्टल** के माध्यम से भारतीय विश्वविद्यालयों में 1000 अफगान छात्रों के लिए चालू शैक्षणिक वर्ष में एक ऑनलाइन छात्रवृत्ति योजना भी प्रारंभ की है। इस योजना के तहत कुल सीटों में से 30% सीटों पर छात्राओं को प्रवेश दिए गए। भारत ने कृषि से संबंधित क्षेत्रों में अफगान छात्रों के लिए ऑनलाइन छात्रवृत्ति प्रदान करके अफगानिस्तान राष्ट्रीय कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (ANASTU) के साथ अपना सहयोग भी जारी रखा।

- इसके अलावा, भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार और वाणिज्य जारी है, जिसमें चाबहार पत्तन भी शामिल है।
- **नई दिल्ली में अफगानिस्तान इस्लामी गणराज्य की राजनयिक उपस्थिति तथा भारत में मुंबई और हैदराबाद में अफगानिस्तान इस्लामी गणराज्य के वाणिज्य दूतावास कार्यरत हैं।** पिछले दो वर्षों के दौरान, कुछ अफगान राजनयिकों ने तीसरे देशों में निवास प्राप्त करने के बाद भारत छोड़ दिया है। हालांकि, भारत में स्थित अफगान के शेष राजनयिकों ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के निरंतर राजनयिक कामकाज का उत्तरदायित्व संभाला हुआ है।
- **भारत के अफगानिस्तान के साथ ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध हैं** और हमारी विकास साझेदारी में देश के 34 प्रांतों में से प्रत्येक में विद्युत्, जल की आपूर्ति, सड़क कंनेक्टिविटी, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, कृषि और क्षमता निर्माण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विस्तृत पांच सौ से अधिक परियोजनाएं शामिल हैं। **काबुल में हमारी तकनीकी टीम मानवीय सहायता का समर्थन करने के अतिरिक्त हमारी परियोजनाओं की स्थिति और उनके कामकाज की निगरानी कर रही है।**

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

Heartiest
Congratulations
to all Successful Candidates

79 in **TOP 100** Selections in **CSE 2023**
from various programs of **Vision IAS**

1 AIR
Aditya Srivastava

2 AIR
Animesh Pradhan

5 AIR
Ruhani

6 AIR
Srishti Dabas

7 AIR
Anmol Rathore

9 AIR
Nausheen

10 AIR
Aishwaryam Prajapati

हिंदी माध्यम में 35+ चयन CSE 2023 में

हिंदी माध्यम टॉपर

53 AIR
मोहन लाल

136 AIR
अर्पित कुमार

238 AIR
विपिन दुबे

257 AIR
मनीषा धार्वे

313 AIR
मयंक दुबे

517 AIR
देवेश पाराशर

39 Selections in **TOP 50** in **CSE 2022**

1 AIR
Ishita Kishore

2 AIR
Garima Lohia

3 AIR
Uma Harathi N

DELHI

HEAD OFFICE
Apsara Arcade, 1/8-B 1st Floor, Near Gate-6 Karol Bagh Metro Station

MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office, above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009

FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call:
+91 8468022022,
+91 9019066066

enquiry@visionias.in | /c/VisionIASdelhi | /visionias.upsc | /vision _ias | VisionIAS_UPSC

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी | हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | राँची